वर्तमान मामले में, सभी 21 सदस्यों को इच्छित बैठक के बारे में सूचित किया गया था, जो दोनों को छोड़कर उपस्थित नहीं हुए थे।स्वाभाविक निष्कर्ष यह होगा कि प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया था।

हम प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बुलाई गई बैठक को कथित कोरम की कमी के *कारण* स्थगित किया जा सकता है क्योंकि हमारा निश्चित विचार है *कि* अधिनियम के प्रावधानों द्वारा ऐसी कोई कोरम की परिकल्पना नहीं की गई है। परिणामस्वरूप, हम इस रिट याचिका को स्वीकार करते हैं और आदेश संलग्नक पी-2 को रद्द कर देते हैं।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

जे एस टी।

इससे पहले माननीय वी. के. बाली, जे.

गुरचरण सिंह,-आवेदक *याचिकाकर्ता।*

बनाम

मेसर्स राघबीर साइकिल पी. प्राइवेट लिमिटेड ई. टी. सी.,-उत्तरदाता।

1993 का कंपनी आवेदन *संख्या* 46।

में

Gurcharan Singh *v.* M/s Raghbir Cycles Pvt. Ltd. etc.
(V. K. Bali, J.).

1987 की कंपनी याचिका संख्या 134

19अप्रैल, 1994।

कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959-नियम 9 *सी. पी.* सी. आदेश 23, *नियम* 3, *खंड 151-मध्यस्थता* अधिनियम-खंड 8,20 और 21-कंपनी *याचिकाएं लंबित-मध्यस्थ की नियुक्ति के* लिए *नियम 9* के तहत आवेदन-दोनों *पक्षों द्वारा दायर ऐसा आवेदन-मध्यस्थ की* नियुक्ति *का आदेश-प्रदान किया गया पुरस्कार-मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने वाले पुरस्कार पर आपत्तियां।*

आयोजित किया गया।कि सभी इच्छुक पक्ष इस बात पर सहमत थे कि उनके बीच अंतर का मामला मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया गया था।आवेदन लिखित रूप में किए गए थे।इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि कंपनी की याचिकाओं के लिए सभी इच्छुक पक्षों के आवेदनों पर पारित आदेश, ऊपर निर्दिष्ट, मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों को बाधित नहीं कर रहा था या यह कि पुरस्कार भी मध्यस्थता अधिनियम में निहित नियमों के बाहर था।

(पैरा 41)

इसके अलावा, लेखन में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए कहने और किसी भी तरह की आपत्ति उठाए बिना मध्यस्थ के समक्ष भाग लेने से,

जो भी हो, विरोध करने वालों को यह तर्क देने की अनुमति नहीं मिलेगी कि मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए पारित आदेश और स्वयं निर्णय) मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के तहत नहीं थे। विरोध (पैरा 42) करने वालों का आचरण स्वीकृति के बराबर है।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत-वकील की उपस्थिति-क्या उनके पक्षकारों *ने अलग-अलग नोटिस जारी किए।*

माना गया कि विरोध करने वालों का वकील न केवल रघुबीर सिंह बल्कि उनके परिवार के सदस्यों के साथ-साथ कंपनी का भी प्रतिनिधित्व कर रहा था।एक बार जब वकील द्वारा मध्यस्थ के समक्ष उपस्थिति दर्ज कराई गई, जो, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सभी प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो मध्यस्थ के लिए यह अनिवार्य नहीं था कि वह मामले में शामिल सभी व्यक्तियों को अलग-अलग नोटिस जारी करे और यदि कोई वास्तव में अलग से सुनना चाहता है, तो यह उसके लिए था कि वह मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित हो।

(पैरा)

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एच. एल. सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता एल. एम. सूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता *और दीपक सूरी, अधिवक्ता*

राजीव दत्ता के साथ जी. रामास्वामी और वाई. के. जैन सीनियर अधिवक्ता हैं।अधिवक्ता और जे. एस. नारंग, अधिवक्ता पी. पी. सिंह के साथ, प्रतिवादी *की ओर से।*

न्याय

वी. *के. बाली, जे.*

(1) यह आदेश कंपनी के नियम 9 (न्यायालय नियम 1959, मध्यस्थ-सह-अंपायर श्री डी. एस. तेवतिया के निर्णय को न्यायालय का नियम बनाने के लिए) के तहत कंपनी याचिका संख्या 1987 की 34 में कंपनी आवेदन संख्या 1993 की 46 और कंपनी याचिका संख्या 1987 की 79 में कंपनी आवेदन संख्या 1993 की 47 का निपटारा करेगा।यह आदेश उसी अधिनिर्णय के विरुद्ध मध्यस्थता अधिनियम की धारा 30 और 31 के तहत आपत्तियां उठाने वाली 1987 की कंपनी याचिका संख्या 134 में 1993 के कंपनी आवेदन संख्या 45 का भी निपटारा करेगा।हालांकि, इससे पहले कि पुरस्कार के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों पर ध्यान दिया जाए, मध्यस्थ की नियुक्ति की घटनाओं का तथ्यात्मक विवरण देना उपयोगी होगा।

(2) गुरचरण सिंह, उनकी पत्नी श्रीमती. जवांत कौर, उनकी बेटियाँ मिस सोनिया और मिस रामजीत कौर और उनके बेटे गुरप्रीत सिंह ने

भी सदस्यों के रजिस्टर में सुधार के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की खंड 155 के तहत 1987 की कंपनी याचिका संख्या 79 दायर की।यह याचिका रघबीर साइकिल प्राइवेट लिमिटेड रघबीर सिंह और उनके बेटों मंजीत सिंह और कंवलजीत सिंह के खिलाफ दायर की गई थी।परणजीत सिंह और हरजीत सिंह।यह याचिका बहुत पहले जुलाई 1987 में दायर की गई थी और उस समय परणजीत सिंह और हरजीत सिंह नाबालिग थे और उन पर उनके पिता रघबीर सिंह द्वारा से उनके स्वाभाविक *अभिभावक के* रूप में मुकदमा चलाया गया था।अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ यह भी अनुरोध किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के पास निम्नलिखित हिस्सेदारी है -

कंपनी की पुस्तकेंः–

1 गुरचरण सिंह	600 शेयर।
,	(यद्यपि वह 1,500 शेयरों के आवंटन के अनुसार 2,100 शेयरों का हकदार है जो 22 जुलाई, 1985 को किया गया था, जैसा कि कंपनी द्वारा किए गए शेयरों की वापसी से पता चलता है) कंपनी पंजीयक को।
2 श्रीमती. जसवंत कौर, एस.	2,375 शेयर।
. गुरचरण सिंह की पत्नी।	
3	
. मिस सोनिया	2,640 शेयर।
4	
. गुरप्रीत सिंह नाबालिग	3,250 शेयर।
5 सुश्री रमनजीत कौर	2,685 शेयर।
.	11,650
	रु. से। 100 प्रत्येक।

(3) मोथमोथेरियोफ; ipetitioner1No.n 1 Smt.nChanani, देवी, जो प्रतिवादी संख्या 2 की माँ थीं, के पास 1,500 शेयर थे।2 नवंबर, 1984 को उनकी मृत्यु हो गई।यह दलील दी जाती है कि ये शेयर प्रतिवादी संख्या 2 के बेटे परणजीत सिंह को अवैध रूप से आवंटित किए गए हैं, जो याचिका में प्रतिवादी संख्या 5 हैं।श्रीमती. चानन देवी के दो बेटे थे अर्थात याचिकाकर्ता संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 और इस तरह दोनों इन 1,500 शेयरों में से आधे के बराबर हकदार थे।15 अक्टूबर, 1985 को परणजीत सिंह के पक्ष में किए गए संचरण द्वारा इस आवंटन को सुधारने के लिए कहा गया था।इसके अलावा, कंपनी * ने 22 जुलाई, 1985 को निदेशक मंडल के एक प्रस्ताव द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 1 को 1,500 शेयर आवंटित किए थे।कम्पनी द्वारा कम्पनी पंजीयक के पास आबंटन की विवरणी दाखिल की गई थी।यह अनुरोध किया गया था कि याचिकाकर्ता इन 1,500 शेयरों की सीमा तक रजिस्टर के आवंटन और सुधार का हकदार था।वर्ष 1981 में, प्रतिवादी संख्या 2, कंपनी की पुस्तकों में सेठी फाइनेंस कंपनी, सीकरी फाइनेंस कंपनी और सचदेवा फाइनेंस कंपनी द्वारा दिए गए विभिन्न क्रेडिट दिखाने में कामयाब रहे।इन जमाओं को वर्ष 1981 में शुरू किया गया था और निम्नलिखित रूप में बढ़ाया गया थाः—

	–रु.		में
(1) सेठी फाइनेंस कंपनी	2,61,050	विची वास्स	-
	रु. तक बढ़ा।		प
	11,15,550	30 जून,	र
	1983।		
	–रु.		में
(2) !सीकरी फाइनेंस कंपनी	3,23,025	कौन सा था	-
		रु.	प
	30 जून को	11,98,425	र
	बनाया गया,	1983।	
	–रु.		में
(3) सचदेवा फाइनेंस कंपनी,	2,20,875	कौन सा था	-
	बनाने के	रु.	प
	लिए	10,79,375	र
	30जून, 1983।		

(4) यह आरोप लगाया गया था कि ये काल्पनिक जमा हैं।कंपनी द्वारा इन वित्त कंपनियों को कोई ब्याज नहीं दिया गया था।ब्याज का भुगतान उनके नाम के वाहक चेक द्वारा किया जाता था, लेकिन उन्हें पंजाब एंड सिंध बैंक, मिलर गंज, लुधियाना से रघबीर सिंह प्रतिवादी नंबर 2, उनके बेटों मंजीत सिंह और कंवलजीत सिंह द्वारा भुनाया जाता था।जारी किए गए कुछ चेकों का विवरण याचिका के पैराग्राफ नंबर 5 में दिया गया है।यह दलील दी जाती है कि उक्त चेक खाता प्राप्तकर्ता के चेक नहीं थे, बल्कि वाहक चेक थे और जिस बैंक ने इन चेकों का भुगतान किया था, वह उन व्यक्तियों को साबित करेगा जिन्होंने पैसे निकाले थे।उपरोक्त राशियों को या तो रघबीर सिंह प्रतिवादी संख्या 2 ने या उनके बेटों मंजीत सिंह और कंवलजीत सिंह ने वापस ले लिया था।इसके बाद तीन वित्त कंपनियों यानी सेठी फाइनेंस कंपनी, सीकरी फाइनेंस कंपनी और सचदेवा कंपनी के शेयरों को सेठी फाइनेंस कंपनी के मालिक श्री नरिंदर सिंह सेठी, सीकरी फाइनेंस कंपनी के मालिक श्री देविंदर सिंह और सचदेवा फाइनेंस कंपनी के मालिक श्री सम्पूरन सिंह को आवंटित कर दिया गया।यह दलील दी जाती है कि इन शेयरों के लिए इन आबंटियों द्वारा कभी आवेदन नहीं किया गया था और बाद में इन्हें रघबीर सिंह प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा क्रमशः कंवलजीत सिंह,

परणजीत सिंह और हरजीत सिंह के नाम से हस्तांतरित कर दिया गया था।निम्नलिखित विभाजन के साथ आवंटित शेयरों की कुल संख्या 37,336 थीः

सरदार नरिंदर सिंह के 12,256 शेयर हैं।

सरदार सम्पुरन सिंह के 11,980 शेयर हैं।

सरदार देविंदर सिंह के 13,100 शेयर हैं।

37,336 शेयर।

(5) यह आवंटन 4 जुलाई, 1985 को किया गया था।यह आरोप लगाया जाता है कि गुरचरण सिंह, जो कंपनी के निदेशक थे, ने इस तरह के आवंटन को अधिकृत करने वाली ऐसी बैठक में कभी भाग नहीं लिया।तबादलों को कंपनी के संघ के अनुच्छेदों का उल्लंघन करने का भी अनुरोध किया गया था, जिन्हें पृष्ठ 7,8 और 9 पर निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः–

“11. इन वस्तुओं के प्रतिबंध के अधीन शेयर हस्तांतरणीय होंगे लेकिन प्रत्येक हस्तांतरण लिखित रूप में होना चाहिए।निर्धारित प्रपत्र और हस्तांतरण किए जाने वाले शेयरों के प्रमाण पत्र के

साथ कार्यालय में छोड़ दिया जाना चाहिए, और ऐसे अन्य साक्ष्य (यदि कोई हों) जो निदेशकों को इच्छुक स्थानान्तरण के नाम को साबित करने के लिए आवश्यक हों।

12. इसके बाद दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, कंपनी में कोई भी शेयर तब तक हस्तांतरित नहीं किया जाएगा जब तक कि इसके बाद प्रदान किए गए मौजूदा शेयरधारकों के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते हैं और इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे और प्रभावी होंगेः–

(a) प्रत्येक सदस्य या उसके खंड II में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति जो शेयरों का हस्तांतरण करने का इरादा रखते हैं (जिसे इसके बाद विक्रेता कहा जाता है) निदेशक मंडल को अपने इरादे की लिखित सूचना देंगे।नोटिस बोर्ड को विक्रेता और बोर्ड द्वारा सहमत की जाने वाली कीमत पर कंपनी के सदस्यों को बोर्ड के विवेक पर एक या अधिक लॉट में उक्त शेयरों की बिक्री के लिए अपने एजेंट का गठन करेगा, या उस कीमत पर अंतर की स्थिति में जिसे कंपनी का लेखा परीक्षक कुछ समय के लिए अपनी राय में एक

इच्छुक विक्रेता और एक इच्छुक खरीदार के बीच उचित बिक्री मूल्य होने के लिए प्रमाणित करेगा।

(b) उपरोक्त के रूप में मूल्य निर्धारित होने पर, बोर्ड कंपनी के सभी सदस्यों को बेचे जाने वाले शेयरों की संख्या और मूल्य के बारे में तुरंत सूचना देता है और उनमें से प्रत्येक को उक्त सूचना की तारीख से चौदह दिनों के भीतर लिखित रूप में यह बताने के लिए आमंत्रित करता है कि क्या वह खरीदने के लिए तैयार है, और यदि है, तो उक्त शेयरों की अधिकतम संख्या क्या है।

(c) उक्त चौदह दिनों की समाप्ति पर, बोर्ड उक्त शेयरों को उस सदस्य या सदस्यों को या उनके पक्ष में आवंटित करेगा जिन्होंने उपरोक्त के रूप में खरीद करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है, और (यदि एक से अधिक हैं) तो क्रमशः उनके द्वारा पहले से ही रखे गए शेयरों की संख्या के अनुसार यथासंभव पूर्ववत होगा, बशर्ते कि कोई भी सदस्य उपरोक्त के रूप में उसके द्वारा अधिसूचित शेयरों की उक्त अधिकतम संख्या से अधिक लेने के लिए बाध्य नहीं

होगा।ऐसा आबंटन किए जाने पर, विक्रेता उक्त मूल्य के भुगतान पर खरीदार या खरीदारों को शेयरों का हस्तांतरण करने के लिए बाध्य होगा, और यदि वह ऐसा करने में चूक करता है, तो बोर्ड मूल्य प्राप्त कर सकता है और विक्रेता की ओर से शेयरों की संख्या के लिए एक अच्छा निर्वहन दे सकता है और उसके द्वारा खरीदे गए उक्त शेयरों का हस्तांतरण करके सदस्यों के रजिस्टर में खरीदार का नाम दर्ज कर सकता है।

(d) उक्त सभी शेयरों को उसके पूर्वगामी उपखंडों के तहत नहीं बेचे जाने की स्थिति में, विक्रेता छह कैलेंडर महीनों के भीतर किसी भी तरह से 14 दिनों की अवधि समाप्त होने वाले शेयरों को किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है (इसके खंड 15 के प्रावधानों के अधीन)।

(e) *इसमें* पहले निहित प्रावधान केवल नए न्यासियों के नाम पर नियुक्ति को प्रभावित करने वाले उद्देश्यों के लिए किसी हस्तांतरण पर लागू नहीं होंगे, न ही किसी वसीयत के निष्पादक या प्रशासकों द्वारा किसी वसीयत के तहत, या किसी मृत सदस्य के पति, पत्नी या निकटतम परिजन के लिए, और न ही किसी न्यासी द्वारा किसी लाभार्थी को हस्तांतरण पर लागू होंगे, बशर्ते कि बोर्ड की संतुष्टि के लिए यह साबित हो कि हस्तांतरण प्रामाणिक रूप *से इन* अपवादों में से एक के भीतर आता है।"

(6) यह अनुप्रयुक्त है।यह गुहार लगाई।ऊपर पुनरुत्पादित अनुच्छेद 12 (ए) के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं को जो कुछ भी दिया गया था, उनसे यह नहीं पूछा गया था कि क्या वे इन शेयरों को प्राप्त करने के

लिए तैयार हैं, जिन्हें आबंटियों द्वारा हस्तांतरित करने की मांग की गई थी, जो स्वयं काल्पनिक थे।नरिंदर सिंह और सम्पूरन सिंह प्रतिवादी संख्या 2 के बहनोई हैं, याचिकाकर्ता संख्या 1 की बहनें और साथ ही प्रतिवादी संख्या 2 भी उनसे विवाहित हैं।देविंदर सिंह याचिकाकर्ता नंबर 1 और प्रतिवादी नंबर 2 की बहन का बेटा है।किसी न किसी तरह नरिंदर सिंह, देविंदर सिंह और सम्पूरन सिंह के नाम पर उनकी जानकारी और सहमति के बिना काल्पनिक दस्तावेज तैयार किए गए थे।यह दलील दी जाती है कि वे न तो जमा में पक्षकार थे और न ही ब्याज की निकासी में और न ही शेयरों के आवंटन में और न ही शेयरों के हस्तांतरण में।उपरोक्त दावों के समर्थन में सम्पूरन सिंह का शपथ पत्र भी याचिका के साथ दायर किया गया था।इसके अलावा, उपरोक्त काल्पनिक शेयरों के अलावा, कंपनी के 40 व्यक्तियों, 11 मौजूदा और 29 गैर-मौजूदा कर्मचारियों को और शेयर आवंटित किए गए थे।आवंटन 1 अगस्त, 1994 को किया गया था और आवंटन की वापसी कंपनी पंजीयक को की गई थी।याचिकाकर्ता नंबर 1, जो कंपनी के निदेशक थे, उन्हें कभी भी बैठक का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था और न ही *उन्होंने* ऐसी किसी बैठक में भाग लिया था।के लिए काल्पनिक क्रेडिट प्रविष्टियाँ की गईं।रु. की सीमा। 50, 000 से रु। 52, 000।इन व्यक्तियों के नाम पर किए

जाने वाले आवंटन के अनुसार प्रति एस. के. आई. धारक।उक्त व्यक्ति न तो धन का भुगतान करने की स्थिति में थे और न ही उन्होंने कभी धन का भुगतान किया और इन व्यक्तियों को शेयरों के आवंटन की योजना को एल-ई की लेखा पुस्तकों में इन काल्पनिक प्रविष्टियों के कारण सुविधा प्रदान की गई थी।

कंपनी।इन शेयरों को फिर से इन 40 आबंटियों द्वारा रघबीर सिंह (10060 शेयर) और मंजीत सिंह (10,055 शेयर) के नाम पर हस्तांतरित किया गया था।यह हस्तांतरण फिर से कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 11 और 12 में निहित प्रावधानों के खिलाफ बताया गया था, वास्तव में पूरी क्रेडिट प्रविष्टियां रघबीर सिंह द्वारा गलत खर्च करके, कंपनी के खातों में प्रविष्टियां करके और कंपनी के तेल विक्रेताओं से इसे वापस लेकर और क्रेडिट प्रविष्टियां करने के लिए या कंपनी के सामान और स्टॉक को कम करके बेचने के लिए और वास्तविक मूल्य के बदले में गुप्त रूप से पैसे लेकर काले धन का उपयोग करके की गई थीं।ऋण प्रविष्टियाँ काले धन का उपयोग करके कंपनी की पुस्तकों में की गई थीं, जो प्रतिवादी संख्या 2 या तो कंपनी की पुस्तकों में काल्पनिक नामों से 'भुगतान किया गया बोनस', 'मजदूरी के साथ पट्टा', 'कोयला और ईंधन खाता' और 'श्रम शुल्क' शीर्षक के तहत उत्पन्न कर रहा था और अंतिम तुलन-पत्र सही स्थिति को नहीं दर्शाता था।

(7) 30 जून, 1986 को निम्नलिखित व्यक्तियों को 9011 शेयर आवंटित किए गए थेः–

"1,500 रघबीर सिंह द्वारा स्वयं को शेयर।

1,500 1 अपने बेटे मंजीत सिंह को साझा करता है।

1.700 उनके बेटे कंवलजीत सिंह को साझा करते हैं।

2.700 वह अपने नाबालिग बेटे परणजीत सिंह को साझा करता है।

1.700 वह अपने एक अन्य नाबालिग बेटे, हरजित सिंह को साझा करता है।"

(8) यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त आवंटन उस बैठक में किया गया था जिसमें याचिकाकर्ता संख्या 1 ने कभी भाग नहीं लिया था और न ही उसे कोई नोटिस जारी किया गया था।यह भी अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त उपकरणों को प्रतिवादी संख्या 2 और उनके बेटे संख्या 3 से 6 द्वारा कंपनी की इक्विटी पूंजी में बहुमत हिस्सेदारी प्राप्त करने और आने वाले सभी समय के लिए याचिकाकर्ता संख्या 2 के अधिकार को हराने के उद्देश्य से अपनाया गया था, जो कंपनी की स्थापना के समय 50 प्रतिशत की सीमा तक कंपनी का शेयरधारक था।उपरोक्त उपकरणों को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा लीग में और श्री डी. सी. गुप्ता, जो कंपनी के लेखा परीक्षक थे, के परामर्श से अपनाया गया था।उन्होंने कभी भी उन काल्पनिक प्रविष्टियों को नहीं देखा जो की गई थीं।दूसरी ओर, उन्होंने पंजाब मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को

आवंटित 10 शेयर प्राप्त किए, जिसमें वे प्रबंध निदेशक हैं।उपरोक्त तथ्यों पर, यह स्पष्ट करने की मांग की गई कि याचिकाकर्ता संख्या 1 को आवंटित किए गए 1,500 शेयरों को सदस्यों के रजिस्टर में अनावश्यक रूप से नहीं दिखाया गया था। जिनके शेयर

श्रीमती. चानन देवी को ओल रणजीत सिंह के नाम से प्रेषित किया गया था, हालांकि याचिकाकर्ता हो।1 उसी में से 750 शेयरों का हकदार था; कि तीन वित्त कंपनियों को 37,350 जाल का आवंटन अर्थात सेठी फाइनेंस कंपनी, मिनी फाइनेंस कंपनी और सचदेवा फाइनेंस कंपनी को तथ्यात्मक रूप से बनाया गया था और इसके परिणामस्वरूप कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 11 और 12 का उल्लंघन किया गया था; कि 2011 में काले धन का उपयोग करके और ऐसे काल्पनिक नामों को दिखाकर 40 व्यक्तियों को शेयर आवंटित किए गए थे जिन्होंने कभी आवेदन नहीं किया था और न ही वे हस्तांतरण में पक्षकार थे जो कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कॉर्न कंपनी के अनुच्छेद 11 और 12 के प्रावधानों को देखते हुए अवैध थे; कि 9011 शेयर बिना किसी बैठक के आवंटित किए गए थे और कंपनी के लेखा परीक्षक श्री एल. सी. गुप्ता के पंजाब मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को 10 शेयर आवंटित किए गए थे।इस प्रकार, प्रार्थना कंपनी के अभिलेखों को मंगाने और सदस्यों के रजिस्टर को सुधारने के लिए थी ताकि कंपनी की सही हिस्सेदारी को दर्शाया जा सके।

(9) याचिकाकर्ताओं के दावे को दो समान लिखित बयानों द्वारा

विफल करने का प्रयास किया गया था-एक प्रतिवादी संख्या 1,2,5 और 6 की ओर से और दूसरा प्रतिवादी संख्या 3 और 4 द्वारा दायर किया गया था।प्रारंभिक आपत्तियों के माध्यम से यह अनुरोध किया गया था कि याचिका वर्तमान रूप में बनाए रखने योग्य नहीं थी क्योंकि कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 21 के तहत एक शपथ पत्र द्वारा इसका समर्थन नहीं किया गया था।कहा गया था कि याचिका में तथ्यों के बहुत सारे विवादित प्रश्न उठाए गए थे-जिन पर कंपनी अधिनियम, 1956 की खंड 155 के तहत विचार नहीं किया जा सकता था।गुण-दोष के आधार पर, इस मामले को यह दलील देते हुए भी चुनौती दी गई थी कि कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार शेयर आवंटन की सही तस्वीर निम्नानुसार थीः–

1974 से अब तक हिस्सेदारी की स्थिति

एस. रघबीर सिंह		एस. गुरचरण सिंह	
	एस. रघबीर सिंह	50 एस. गुरचरण सिंह	50
1976	बी. एफ.	50 बी. एफ.	50
	एस. रघबीर सिंह	950 श्रीमती. जसवंत कौर	30
	श्रीमती। श्री.	300 एस. गुरप्रीत सिंह	0 '
	हार्डिप कौर	500 मिस सोनिया	40

मंजीत।सिंह एस.	550 मिस रमनजीत	0
कंवलजीत सिंह	500	30
एस. श्री हरजीत	100	0
सिंह, परणजीत		30
सिंह		0

जून	एस, रघबीर सिंह	500		
19			बी.	
77			एफ	
		3450	.	1350
जून	ब ए	3450	बी,	1350
19	. फ		एफ	
78	.		I	
जून	ब ए	3450	बी.	1350
19	. फ		एफ	
79	.		.	
जून	बी. एफ.	3450	बी.	1350
19			एफ	
80			.	
जून	ए ब			
19	फ .	3450	बी. एफ.	1350
81	.			
	श्रीमती. हार्डिप	400	एस. गुरप्रीत सिंह	60
	कौर			0

	एस. मंजीत सिंह	450	मिस सोनिया	0
	एस. कमलजीत सिंह	500	मिस रामजीत	300
	एस. हरजीत सिंह	500		
	एस. परणजीत सिंह	500		
		5850		2600
जून 1982	र्ब. ए फ.	5850	बी. एफ.	2600
जून 1983	र्ब. ए फ.	5850	बी. एफ.	2600

	श्रीमती. हार्डिप कौर	800	श्रीमती. जसवंत कौर	12सी 0
	एस. मंजीत सिंह	550	एस. गुरप्रीत सिंह	500
	एस. कमलजीत सिंह	450	मिस सोनिया	850
	एस. हरजीत सिंह	500	सुश्री रमनजीत कौर	950
	एस. परणजीत सिंह	850		
		9000		6050
जून 19 84	बी. एफ.	9000	बी. एफ.	605 0
	एस. रघबीर सिंह	90 0	एस. गुरचरण सिंह	55 0
	एस, मरियम	170	एस. गुरप्रीत	165

सिंह	0	सिंह	0
एस. कमलजीत सिंह	160		
	0		
§.हरजित सिंह	165		
	0		
एस. परणजीत सिंह	14		
	00		
	162		835
	50		0

बी. एफ. 2950

बी. एफ. 1350

जून बी. एफ. 162,50 बी. एफ. 8350

1985 श्रीमती. जसवंत कौर

एस. गुरप्रीत सिंह 162

मिस सोनिया 75

50

सुश्री रमनजीत कौर 100

जून बी. एफ., 16250 1240

1185

बी. एफ 11650

. 11650

1986

एस. रघबीर सिंह 1500

एस. मंजीत सिंह 1500

एस. कमलजीत सिंह 11650

1700 बी. एफ. 11650

एस. पररीत सिंह 2700

253

50

जून बी. एफ. 25350

1987

एस. रघबीर सिंह 10060

एस. मंजीत सिंह 100 * 5

एस. कमलजीत सिंह

12251

एस. हरजीत सिंह 11980

एस. परणजीत सिंह

14,600

842

96

एस. रघबीर सिंह 11650

एस. गुरचरण

सिंह 84296

आउटसाइडर्स 11650

कुल बिक्री 40

@100/- प्रति 95986

रु. 95,98,600 -

कि वहाँ एक नौल नियमित

था वापसी

Gurcharan Singh *v.* M/s Raghbir Cycles Pvt. Ltd. etc.
(V. K. Bali, J.).

15.10.1986

(10) यह डब्ल्यू यह, इस

प्रकार, निष्क्रिय था

22 जुलाई, 1965 को कंपनी द्वारा दाखिल किए गए शेयरों का

कोई भी विवरणी और

इसलिए, दिखाने का सवाल टीजेजी में अतिरिक्त 1,500

शेयर

गुरचरण सिंह का नाम सामने नहीं आया।गुरचरण सिंह 24 जून, 1987 से कंपनी के निदेशक पद से हट गए थे।पक्षों के संबंधों को स्वीकार किया गया और यह अनुरोध किया गया कि श्रीमती। चानन देवी के पास कंपनी के 1,500 शेयर थे और 2 नवंबर, 1984 को उनकी मृत्यु हो गई।स्वर्गीय श्रीमती के शेयर। चानन देवी को उनके द्वारा निष्पादित वसीयत के अनुसार परणजीत सिंह के नाम पर प्रेषित किया गया था।श्रीमती के 1.500 शेयरों के संचरण के लिए आवेदन। कंपनी पंजीयक द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद चानन देवी को कंपनी के पास परणजीत सिंह के लिए और उनकी ओर से वसीयत की फोटोस्टैट प्रति के साथ दाखिल किया गया था, जिस पर 15 अक्टूबर को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में विचार किया गया था।1986 जिसमें याचिकाकर्ता स्वयं उपस्थित था और संचरण को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।यह आगे दलील दी गई कि कंपनी उत्कृष्ट व्यवसाय कर रही थी और व्यवसाय का विस्तार करना चाहती थी और बड़े पैमाने पर कंपनी के उत्पाद के निर्यात के लिए जाना चाहती थी और इसलिए कंपनी को वित्त की आवश्यकता थी।कंपनी ने मेसर्स सेठी फाइनेंस कंपनी, मेसर्स सीकरी फाइनेंस कंपनी और सचदेवा फाइनेंस कंपनी से वित्त प्राप्त किया।सबने कहाःफर्म एकल स्वामित्व हैं और

याचिकाकर्ता संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 के बहनोई और भतीजे के नियंत्रण में हैं।याचिकाकर्ताप्रतिवादी प्रतिवादीनप्रतिवादींप्रतिवादीबप्रतिवादीरप्रतिवादी प्रतिवादी1प्रतिवादी प्रतिवादीसप्रतिवादी्प्रतिवादीवप्रतिवादीयप्रतिवादींप्रतिवादी प्रतिवादीवप्रतिवादीरप्रतिवादी्प्रतिवादीषप्रतिवादी प्रतिवादी1प्रतिवादी9प्रतिवादी8प्रतिवादी1प्रतिवादी प्रतिवादीमप्रतिवादीेप्रतिवादींप्रतिवादी प्रतिवादीकप्रतिवादींप्रतिवादीपप्रतिवादीनप्रतिवादीीप्रतिवादी प्रतिवादीकप्रतिवादीेप्रतिवादी प्रतिवादीनप्रतिवादीिप्रतिवादीदप्रतिवादीेप्रतिवादीशप्रतिवादीकप्रतिवादी प्रतिवादीथप्रतिवादीेप्रतिवादी प्रतिवादीऔप्रतिवादीरप्रतिवादी याचिकाकर्ताप्रतिवादी प्रतिवादीनप्रतिवादींप्रतिवादीबप्रतिवादीरप्रतिवादी प्रतिवादी1प्रतिवादी प्रतिवादीकप्रतिवादीेप्रतिवादी प्रतिवादीभप्रतिवादीतप्रतिवादीीप्रतिवादीजप्रतिवादीेप्रतिवादी प्रतिवादीऔप्रतिवादीरप्रतिवादी प्रतिवादीभप्रतिवादीतप्रतिवादीीप्रतिवादीजप्रतिवादीेप्रतिवादी प्रतिवादीदप्रतिवादी्प्रतिवादीवप्रतिवादीाप्रतिवादीरप्रतिवादीाप्रतिवादी प्रतिवादीकप्रतिवादीिप्रतिवादीएप्रतिवादी प्रतिवादीगप्रतिवादीएप्रतिवादी

प्रतिवादीनप्रतिवादीिप्रतिवादीवप्रतिवादीेप्रतिवादीशप्रतिवादीोप्रतिवादींप्रतिवादी प्रतिवादीसप्रतिवादीेप्रतिवादी प्रतिवादीपप्रतिवादीूप्रतिवादीरप्रतिवादींीप्रतिवादी प्रतिवादीतप्रतिवादीरप्रतिवादीहप्रतिवादी प्रतिवादीसप्रतिवादीेप्रतिवादी प्रतिवादीअप्रतिवादीवप्रतिवादीगप्रतिवादीतप्रतिवादी प्रतिवादीथप्रतिवादीेप्रतिवादी।प्रतिवादीयह सहमति बनी है कि उक्त फर्मों द्वारा दिए गए ऋण/जमा पर 18 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा।उक्त फर्मों ने उचित रूप से धन का अग्रिम भुगतान किया और जमा राशि दी क्योंकि वे इस तथ्य से अवगत थे कि कंपनी अच्छा व्यवसाय कर रही थी और निर्यात व्यवसाय का विस्तार करने पर भी विचार कर रही थी।याचिकाकर्ता संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने रिश्तेदारों से जमा राशि/जोन को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की थी क्योंकि राशि कई औपचारिकताओं से गुजरे बिना उपलब्ध होगी जैसा कि बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थानों से राशि लेने के द्वारा आवश्यक था।इस बात से इनकार किया गया कि उक्त मूल्यह्रास काल्पनिक जमा हैं और उक्त वित्त कंपनियों को कॉमनानव के तहत कोई ब्याज नहीं दिया गया था।टीएचपी याचिका में देखे गए शेयरों के अन्य हस्तांतरण को भी कानूनी, उचित और कंपनी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों

के अनुसार होने का अनुरोध किया गया था।

(11) याचिकाकर्ताओं ने लिखित बयान की विरोधाभासी सामग्री की प्रतिकृति दायर की।

(12) 1987 की याचिका संख्या 134 3 नवंबर को दायर की गई थी।1987 गुरचरण सिंह, उनकी पत्नी, दो बेटियां और उनके बेटे गुरप्रीत सिंह द्वारा रघबीर साइकिल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ और

प्रत्यर्थी-कंपनी के समापन के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की खंड 439 के साथ पठित खंड 433 के तहत रघबीर सिंह।

(13)संक्षेप में गुरचरण सिंह याचिकाकर्ता और अन्य का मामला यह था कि रघबीर साइकिल प्राइवेट लिमिटेड 15 अगस्त, 1974 को पंजीकृत किया गया था।कंपनी की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी रु। 10 लाख रुपये के 10,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित। 100 प्रत्येक।निगमन के टीयूबी में, याचिकाकर्ता नंबर 1 के पास 50 शेयर थे और इसलिए-/ प्रतिवादी नंबर 2 था, और इस प्रकार, शेयरों का अनुपात 50 प्रतिशत था।प्रत्येक।शेयरों का और आवंटन कुल 95,986 शेयरों के रूप में किया गया। कंपनी की अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है।अधिकृत पूंजी को रुपये से बढ़ा दिया गया था। 10 लाख से रु। वर्ष 1983 में 30 लाख और रु। वर्ष 1984 में 60 लाख और वर्ष 1985 में एक करोड़ रु.याचिकाकर्ताओं के पास कुल 13,150 करोड़ रुपये के निम्नलिखित शेयर थे। 100.प्रत्येकः–

गुरचरण सिंह	2,100 शेयर
गुरचरण सिंह की पत्नी जसवंत कौर	2.375 शेयर 2,740 शेयर
मिस सोनिया	3,250 शेयर
गुरप्रीत सिंह नाबालिग	2.685 शेयर।

सुश्री रमनजीत कौर

13150 रु. से। 100 प्रत्येक।

(14) उपरोक्त हिस्सेदारी में स्टेट के शेयर शामिल नहीं थे।याचिकाकर्ता संख्या 1 की माँ चानन देवी और प्रतिवादी संख्या 2, जिनके नाम पर यह दलील दी गई है कि वे समान रूप से अपने नाम पर हिस्सेदारी का आधा हिस्सा प्राप्त करने के हकदार थे और जिन शेयरों को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा परणजीत सिंह के नाम पर 10 जनवरी, 1984 की जाली वसीयत द्वारा से काल्पनिक रूप से हस्तांतरित किया गया था, जिसे कथित तौर पर श्रीमती द्वारा निष्पादित किया गया था। चानन देवी।कंपनी की प्रारंभिक शेयरधारिता को कंपनी के शेयरधारकों के दो समूहों में विभाजित किया गया था, एक का नेतृत्व प्रतिवादी नंबर 2 रघबीर सिंह ने किया था और दूसरा याचिकाकर्ता नंबर 1 ने।वर्ष 1989 में याचिकाकर्ता संख्या 1 के समूह की हिस्सेदारी इस प्रकार थीः–

याचिकाकर्ता संख्या 1 के समूह की हिस्सेदारी।रघबीर सिंह, प्रतिवादी नंबर 1.

1983 6050 वे 9000 शेयर साझा करते हैं।

(श्रीमती के अतिरिक्त 1,500 शेयर। याचिकाकर्ता संख्या 1 की

माँ चानन देवी और प्रतिवादी संख्या 2, जो उस समय जीवित थे, 20 शेयर ऊपर उल्लिखित दो समूहों के अलावा अन्य व्यक्तियों के पास थे।

198-4 8250 वे 10250 शेड्स साझा करते हैं।

(श्रीमती के अतिरिक्त 1,500 शेयर। चानन देवी, याचिकाकर्ता संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 की माँ, जो उस समय जीवित थीं।इसके अलावा, ऊपर उल्लिखित दो समूहों के अलावा अन्य व्यक्तियों के पास 40 शेयर थे),

1985 11650 शेयर 16250 शेयर।

(30जून, 1985)

(श्रीमती के अतिरिक्त 1,500 शेयर। चानन देवी, याचिकाकर्ता संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 की माँ, जो उस समय जीवित थीं।इसके अलावा, ऊपर उल्लिखित दो समूहों के अलावा अन्य व्यक्तियों के पास 40 शेयर थे)।

1985 13150 शेयर 16250 शेयर।

(31सेंट दिसंबर, 1985)

(22 जुलाई, 1985 को कंपनी द्वारा आवंटित 1,500 शेयरों के अतिरिक्त)।(श्रीमती का अतिरिक्त 1,500 हिस्सा। चानन देवी, याचिकाकर्ता संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 की माँ, जो उस समय जीवित थीं।इसके अलावा, ऊपर उल्लिखित दो समूहों के अलावा अन्य व्यक्तियों के पास 40 शेयर थे)।

(15) यह इटूस है; इफुरथेरी ने दलील दी कि कंपनी के तीन मामलों

का प्रबंधन प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इसके निगमन के बाद से किया जा रहा है।याचिकाकर्ता संख्या 1 कलकत्ता में कंपनी के उत्पादों के बिक्री संगठन का प्रबंधन कर रहा था और प्रतिवादी संख्या 2 की ईमानदारी और ईमानदारी में पूरा विश्वास रखता था।हालाँकि, वर्ष 1981 में यह पता चला कि निम्नलिखित जमा विभिन्न कंपनियों द्वारा किए गए थे जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया हैः–

(1) सेठी फाइनेंस कंपनी रु। 2,61,650 जिसे बढ़ाया गया था रु. तक। 11,15,550 30 जून, 1983 को।

(2) सिहरी फाइनेंस कंपनी रु. 3,23,025 जिसे बढ़ाकर रु। 11,98,425 30 जून, 1983 को।

(3) सचदेवा फाइनेंस कंपनी रु। 2,20,875 जिसे बढ़ाकर रु। 30 जून, 1983 को 10.79,375।

(16) टी. ओ. एन. एस. टी. ई. एस. पर) राशि,!कम्पेन सरदार सम्पूरन सिंह द्वारा भुगतान किए गए आईइंटरस्ट 1 को मेसर्स सचदेवा फाइनेंस कंपनी का मालिक दिखाया गया था।यह कंपनी कभी अस्तित्व में नहीं थी और न ही इसने कंपनी को कोई जमा राशि दी थी।यही स्थिति अन्य दो वित्त कंपनियों के संबंध में भी थी।ब्याज राशि का भुगतान वाहक

चेक द्वारा 30 जून, 1985 तक 4 जुलाई, 1985 को किया गया था।विभिन्न कंपनियों के विरुद्ध ऋण के समतुल्य मूल्य के शेयर

इन्हें नरिंदर सिंह की शेयरधारिता, सेठी फाइनेंस कंपनी के सरदार देविंदर सिंह, मालिक बी. के. आर. आई. फाइनेंस कंपनी और ओ. आई. बचदेवा फाइनेंस कंपनी के मालिक सम्पूरन सिंह की हिस्सेदारी में परिवर्तित कर दिया गया।नरिंदर सिंह, देविंदर सिंह और सम्पूरन सिंह के पास न तो कंपनी की लेखा पुस्तकों में कथित और प्रतिबिंबित राशि जमा करने की क्षमता थी और न ही उन्होंने कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में उन्हें किसी भी शेयर के आवंटन के लिए आवेदन किया था।ब्याज जो वाहक चेक द्वारा भुगतान किया गया था, वह चेक के आहरणकर्ता के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया गया था और ज्यादातर प्रतिवादी संख्या 2 या उनके बेटों मंजीत सिंह और कंवलजीत सिंह द्वारा प्राप्त किया गया था।30 जून, 1985 के बाद, इन ऋण प्रविष्टियों को वित्त कंपनियों के मालिकों के संबंधित नामों पर कंपनी की शेयर पूंजी में परिवर्तित कर दिया गया।4 जुलाई, 1985 तक कंपनी पंजीयक के पास दायर 37,336 शेयरों के आवंटन की विवरणी मामले के अभिलेखों पर रखी गई थी।यह दलील दी जाती है कि इन शेयरों को बाद में हस्तांतरित कर दिया गया, यानी नरिंदर सिंह के नाम पर 12,251 शेयरों को रघबीर सिंह के बेटे कंवलजीत सिंह के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया।13,000 देविंदर सिंह के नाम के शेयर

रघबीर सिंह के बेटे परणजीत सिंह के नाम पर हस्तांतरित किए गए और सम्पूरन सिंह के नाम के 11,980 शेयर हरजित सिंह के नाम पर हस्तांतरित किए गए।1 अगस्त, 1984 को कथित तौर पर 40 व्यक्तियों को 20,115 शेयर आवंटित किए गए थे।इन 40 व्यक्तियों के नाम अलग-अलग संलग्नक डी में दिए गए हैं। इन 40 व्यक्तियों में से केवल दो कर्मचारी थे जो कंपनी में काम कर रहे थे जबकि 38 व्यक्ति गैर-मौजूद थे।इनमें से, शेयरधारकों को इस प्रकार आवंटित 20,115 शेयरों को बाद में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उनके अपने नाम पर हस्तांतरित कर दिया गया।10,680 रघबीर सिंह के नाम पर शेयर हस्तांतरित किए गए और 10,055 शेयरों की शेष राशि रघबीर सिंह के बेटे मंजीत सिंह के नाम पर हस्तांतरित की गई।शेयरधारकों द्वारा कभी भी कोई हस्तांतरण विलेख निष्पादित नहीं किया गया था और न ही जिन शेयरधारकों को शेयरों का आवंटन किया गया था, उन्होंने कभी भी आवंटन के समय भुगतान की गई राशि का भुगतान किया था।

(17) 30 जून, 1986 को, 9,100 करोड़ रुपये के शेयरों का एक और समूह। 100 प्रत्येक को रघबीर सिंह द्वारा आवंटित किया गया था, जो इस प्रकार हैः–

“1,500 स्वयं को साझा करें।

1,500 मंजीत सिंह को उसकी मिट्टी साझा करता है।

1,700 उनके बेटे कंवलजीत सिंह को साझा करते हैं।

2,700 वह अपने नाबालिग बेटे परणजीत सिंह को साझा करता है।

1,700 वह अपने दूसरे बेटे, हरजित सिंह को साझा करता है।"

यह भी अनुरोध किया जाता है कि निदेशक मंडल की कोई बैठक नहीं हुई थी।याचिकाकर्ता संख्या 1, जो इसके निदेशकों में से एक थे

कंपनी को कभी कोई नोटिस नहीं मिला और न ही उन्होंने ऐसी किसी बैठक में भाग लिया जिसके लिए इन आवंटन को मंजूरी दी गई हो।पुनः 5 मार्च, 1984 को प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने नाबालिग बेटों में से एक कंवलजीत सिंह को बिना कोई बैठक किए या याचिकाकर्ता संख्या 1 को कोई नोटिस जारी किए कंपनी का निदेशक नियुक्त किया।उन्होंने अपने दूसरे बेटे मंजीत सिंह को भी 30 जून, 1983 को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया।यह भी अनुरोध किया जाता है कि कानून के तहत किसी भी नाबालिग को कंपनी का निदेशक नियुक्त नहीं किया जा सकता है।इसके अलावा, कंवलजीत सिंह की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति की न तो 31 दिसंबर, 1994 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में पुष्टि की गई और न ही उक्त वार्षिक आम बैठक के बाद कंपनियों के पंजीयक को फॉर्म-32 में विवरणी प्रस्तुत की गई।याचिकाकर्ता रमनजीत कौर के दो खाते थे अर्थात चालू खाता और सावधि जमा खाता।उक्त याचिकाकर्ता के चालू खाते से रु। 24 दिसंबर, 1983 को रघबीर सिंह के बेटे मंजीत सिंह को 5,000 रुपये हस्तांतरित किए गए और इसी तरह 29 फरवरी, 1984 को उनके सावधि जमा खाते से 5,000 रुपये की राशि हस्तांतरित की गई। 25जे0ओओ को उपहार के रूप में परणजीत सिंह को हस्तांतरित कर दिया गया।यह दलील दी जाती है कि उक्त याचिकाकर्ता ने कभी कोई उपहार नहीं दिया और न ही किसी

नाबालिग द्वारा कोई उपहार दिया जा सकता था और उसी पैसे का उपयोग रघबीर सिंह के बेटों मंजीत सिंह और परणजीत सिंह द्वारा शेयरों की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था।इसी तरह, मिस सोनिया याचिकाकर्ता के सावधि जमा खाते से रु। 29 फरवरी, 1984 को परणजीत सिंह को 25,000 रुपये हस्तांतरित किए गए। 24 दिसंबर, 1983 को चालू खाते से मंजीत सिंह को 5,000 रुपये हस्तांतरित किए गए।यह दलील दी जाती है कि मिस सोफिया ने कभी भी ऐसा कोई उपहार नहीं दिया और ये हस्तांतरण परणजीत सिंह और मंजीत सिंह द्वारा शेयरों की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए क्रेडिट प्रविष्टियां दिखाने के उद्देश्य से किए गए थे।इसी तरह अन्य याचिकाकर्ताओं के खातों से कई अन्य राशियां भी वापस ले ली गईं।31 दिसंबर, 1985 के बाद आम बैठकें नहीं करने की शिकायत है।एक शिकायत यह भी है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की खंड 210 के अनुसार कंपनी की बैलेंस शीट पारित नहीं की गई है।इसके अलावा, कंपनी की उद्देश्यपूर्ण लाभप्रदता को विफल करने के लिए, प्रतिवादी नंबर 2 रघबीर सिंह ने कंपनी के परिसर में मेसर्स रघबीर बाइसाइकल्स इंटरनेशनल के नाम और शैली से एक और कंपनी शुरू की और यह कंपनी श्रीमती मनदीप कौर की एकमात्र स्वामित्व के तहत चलाई जाती है।प्रतिवादी संख्या 2 की पत्नी।यह आग्रह किया जाता है कि यह चिंता साइकिल के पुर्जों का

निर्माण और प्रतिवादी-कंपनी की मशीनों और अन्य परिसंपत्तियों का उपयोग कर रही है और कंपनी के मुनाफे को इस चिंता की ओर मोड़ रही है।इस उपकरण से कंपनी जो प्राप्त या अर्जित कर सकती थी, उसे श्रीमती के खजाने में भेजा जा रहा है। हार्डीप कौर।यह भी अनुरोध किया जाता है कि कंपनी को इस्पात, कोयला, निकल आदि का अलग-अलग कोटा प्राप्त होता है। ये कोटा लगभग कुल मूल्य के हैं।

केएस। 10 लाख प्रति माह।कोटा की आपूर्ति या तो मासिक या दो या तीन महीने के अंतराल पर की जाती थी, लेकिन वर्ष के दौरान प्राप्तियों का कुल मूल्य लगभग एक करोड़ रुपये है।यह कोटा प्रत्यर्थी-कंपनी को साइकिल के पुर्जों और अन्य वस्तुओं के निर्माण के लिए आवंटित किया गया है, लेकिन इसका उपयोग करने के बजाय, यह अनुरोध किया जाता है कि प्रत्यर्थी-कंपनी इसे काले बाजार में बेच रही है।उदाहरण के लिए, 'स्टील' की वस्तुओं में ओ. आर. सी. शीट और छड़ें प्राप्त होती हैं, लेकिन उनका निपटान नहीं किया जा सकता है।प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा अपनाया गया उपकरण उन्हें स्क्रैप कहकर बेचना है।इस तरह की बिक्री निम्नलिखित पक्षों को स्क्रैप के रूप में की गई है और इस सूची में, यह अनुरोध किया जाता है, न केवल स्टील के स्क्रैप का निपटान बल्कि निकल स्क्रैप भी शामिल हैः–

'1.सोनू स्टील्स, लुधियाना (स्टील स्क्रैप)

2. संजय सेल्स कॉर्पोरेशन, लुधियाना –करें -

3. स्टैंडर्ड कास्टिंग्स, लुधियाना –करें -

4. एस. के., मेटल वर्क्स, लुधियाना –करें -

5. सरस्वती मेटल वर्क्स, लुधियाना -करें -

(स्टील

6. आधुनिक इस्पात उद्योग, लुधियाना। स्क्रैप)।

(निकल

7. मक्कर धातु उद्योग स्क्रैप)।

(स्टील

8. महेश आयरन स्टोर, लुधियाना स्क्रैप)।

(स्टील

9. बी. सी. जैन एंड कंपनी, लुधियाना स्क्रैप)।

(स्टील

10. अमर स्टील्स, लुधियाना स्क्रैप)।

(स्टील

11. आर. के. स्टील्स (भारत) स्क्रैप)।

12. अशोक ब्रदर्स एंड कंपनी (स्टील

स्क्रैप)।

13. दुर्गा स्टील्स लुधियाना –करें -

(निकल

14. गुप्ता आयरन एंड केमिकल्स स्क्रैप)।

(स्टील

15. कोचर आयरन ट्रेडर्स, लुधियाना स्क्रैप)।-.

(निकल

16 मालेरकोटला स्टील इंडस्ट्रीज, लुधियाना स्क्रैप)।

(स्टील

17. साइकिल व्हील (भारत), लुधियाना स्क्रैप)।

18. नया भारत उद्योग, लुधियाना –करें -

19. ओम प्रकाश एंड कंपनी, लुधियाना (निकल स्क्रैप)।

(स्टील

20. ओम सेल्स कॉर्पोरेशन, लुधियाना स्क्रैप)।

21. आर. एस. स्टील कार्पोरेशन, लुधियाना (स्टील

स्क्रैप)।

21. रवि इंडस्ट्रीज, लुधियाना –करें -

23. आर, आर. स्टील इंडस्ट्रीज, लुधियाना –करें -

24. आर. एस. स्टील ट्रेडर्स, लुधियाना —करो -

25. लुधियाना रोलिंग मिल्स, लुधियाना —करें -

26. अंटार्कटिक इंडस्ट्रीज, लुधियाना —करें -

27. आरती स्टील्स, लुधियाना —करें -

28. विजय फाउंड्री वर्क्स, लुधियाना —करें -

29. ग्रोवर फाउंड्री वर्क्स, लुधियाना —करें -

(19) इसी तरह, कारखाने में कोयले का कोटा कभी प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन उसे रेलवे साइडिंग पर बेचा गया था।इसके द्वारा, पैसा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जेब में डाला जाता है और कोयले के बजाय, चावल की भूसी का उपयोग बॉयलर को चलाने के लिए किया जाता है।

(20) 1 यहाँ अन्य आरोपों में जाने की आवश्यकता नहीं है और यह कहने के लिए पर्याप्त है कि यह दलील दी गई है कि रुपये से अधिक की संपत्ति। रघबीर सिंह और उनके दो बेटों के पास 2 हजार करोड़ रुपये पाए गए हैं, जिनका अवैध और आपत्तिजनक गतिविधियों द्वारा कंपनी की संपत्तियों से गबन किया गया है और जिनका उपयोग रघबीर सिंह और उनके दो बेटों द्वारा अपने निजी उद्देश्यों के लिए या तो स्थायी जमा रसीदें लेकर किया गया है।यह भी अनुरोध किया जाता है कि विभाग द्वारा जब्त किए गए सभी खाते निर्णायक रूप से उन आरोपों को साबित करते हैं जो याचिकाकर्ताओं द्वारा तीन वित्त कंपनियों की धोखाधड़ी वाली क्रेडिट प्रविष्टियों, कमीशन के भुगतान और रघबीर सिंह और उनके दो बेटों द्वारा पंजाब और सिंध बैंक में बैंक खातों से पैसे निकालने के संबंध में लगाए गए हैं।मिलर गंज, लुधियाना, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पंजाब एंड सिंध बैंक, गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज।शाखा लुधियाना।

(21)ऊपर बताए गए तथ्यों से, अंततः यह प्रार्थना की जाती है कि

कंपनी को बंद करने का आदेश पारित किया जाए और कंपनी का प्रभार संभालने के लिए आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया जाए।

(22) इस याचिका का भी प्रतिवादी द्वारा गंभीर विरोध किया गया है क्योंकि प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान में प्रारंभिक आपत्तियों के माध्यम से यह अनुरोध किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की खंड 439 के साथ पठित खंड 433 के तहत याचिका विचारणीय नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता पहले ही उसी आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की खंड 397 और 398 के तहत याचिका दायर करके मामले को उत्तेजित कर चुके हैं, यानी 1987 की कंपनी याचिका संख्या 78, जिसका विस्तृत जवाब पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।यह भी अनुरोध किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 1956 की खंड 155 के तहत दायर एक अन्य याचिका यानी 1987 की कंपनी याचिका संख्या 79 में याचिकाकर्ताओं के शेयरों के दावे की पूरी कहानी को दोहराया गया है, जिसमें कंपनी के सदस्यों के सुधार की मांग की गई है।इसलिए, एक राहत के संबंध में दो याचिकाएं एक साथ आगे नहीं बढ़ सकती हैं।याचिका में कंपनी अधिनियम, 1956 की खंड 433 (च) के तहत कंपनी को बंद करने के किसी भी मामले का खुलासा नहीं किया गया है।यह अनुरोध किया जाता है कि कंपनी सुचारू रूप से काम कर रही है और कंपनी के संगठन के ज्ञापन

में निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल है।कंपनी ने पहले ही इमारत और प्रतिवादी संख्या 2 को पूरा कर लिया है।

उसने पहले ही सभी निर्धारित प्राधिकरणों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, लेकिन दुर्भाग्य से याचिकाकर्ताओं ने दीवानी न्यायालय के समक्ष तथ्यों को गलत तरीके से बताते हुए प्रतिवादी संख्या 2 और कंपनी के अन्य निदेशकों के खिलाफ एक तुच्छ दीवानी मुकदमा दायर किया है।ट्रायल कोर्ट *ने 24* नवंबर, 1987 को एकपक्षीय निषेधाज्ञा देते हुए अधिकार क्षेत्र को पार आदेश लिया है। 100 रुपये के 1,500 शेयर श्रीमती के हैं। स्वर्गीय श्रीमती द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर चनन देवी का स्थानांतरण किया गया था। चानन देवी और यह दलील दी जाती है कि उक्त वसीयत पर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया।वसीयत को 10 तारीख को निष्पादित किया गया था।जनवरी, 1994।कंपनी की स्थापना से ही कंपनी के शेयरधारकों की संबंधित शेयरधारिता की सही तस्वीर जवाब के पृष्ठ 9,10 और 11 पर दी गई है और याचिकाकर्ताओं के आरोप हैं कि याचिकाकर्ता संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती चानन देवी की मृत्यु के बाद बराबर आधे में 1,500 शेयरों के हस्तांतरण के हकदार थे।याचिकाकर्ताओं के अन्य आरोपों का भी एक विस्तृत लिखित बयान में खंडन किया गया है जो कई दस्तावेजों के साथ है।

(23) लगभग 8/9 दिनों तक फैक्सफैड में बहस और दलीलों के लिए इन दोनों याचिकाओं के परिपक्व होने के बाद, इस मुकदमे के पक्षों ने दो आवेदन दायर किए, एक कंपनी (न्यायालय) नियम 1959 के नियम 9 के तहत पक्षों के बीच विवादों को तय करने के लिए एक अंपायर की नियुक्ति के लिए।याचिकाकर्ताओं की ओर से भी यही याचिका दायर की गई थी।दूसरा आवेदन प्रतिवादी की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता की खंड 151 के साथ पठित आदेश 23 नियम 3 और कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 9 के तहत पक्षकारों के बीच विवाद को शांत करने के लिए एक अंपायर की नियुक्ति के लिए दायर किया गया था।इस न्यायालय ने 28 अक्टूबर, 1992 को उपरोक्त आवेदनों पर निम्नलिखित आदेश पारित कियाः–

> "आवेदनों की विषय-वस्तु को देखने और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, मैं आदेश देता हूं कि पक्षकारों के बीच विवाद का निर्णय श्री डी. एस. तेवतिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, जो उच्चतम न्यायालय में वकालत करते हैं, द्वारा किया जाएगा।श्री डी. एस. तेवतिया एक मध्यस्थ के साथ-साथ अंपायर के रूप में भी कार्य करेंगे।वह पक्षकारों या वकीलों को सुनेंगे, न कि पक्षकारों के वकीलों को और जो भी कार्यवाही

उन्हें आवश्यक लगेगी उसे रिकॉर्ड करेंगे और मेसर्स रघबीर साइकिल (पी. आई. लिमिटेड और ओवरसीज साइड्स कंपनी के रूप में जानी जाने वाली कंपनियों के संबंध में विवाद का फैसला करेंगे।पक्षकारों के लिए यह खुला रहेगा कि वे मध्यस्थ/अंपायर के समक्ष आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करें ताकि यह दिखाया जा सके कि अन्य संपत्तियां भले ही व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व में थीं।

कंपनी की निधियों द्वारा से अर्जित और यदि यह अंपायर की संतुष्टि के लिए दिखाया जाता है, तो उसके लिए उक्त संपत्तियों के संबंध में भी विवाद में जाने का अधिकार होगा।मध्यस्थ/अंपायर का निर्णय अंतिम और पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा और किसी भी न्यायालय में इस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।यह स्पष्ट किया जाता है कि यह 1987 की याचिका संख्या 79 और 1987 की याचिका संख्या 134 दोनों का दायरा और दायरा है जो निर्णय के लिए अंपायर/मध्यस्थ के समक्ष होगा।

(24) मध्यस्थ/अंपायर का पारिश्रमिक एक लाख रुपये होगा और इसे गुरचरण सिंह याचिकाकर्ता और प्रतिवादी रघबीर सिंह अपने स्वयं के कोष

से समान रूप से साझा करेंगे, न कि कंपनी या फर्म के कोष से।कोई अन्य व्यय जो मध्यस्थ/अंपायर द्वारा कलकत्ता या लुधियाना की यात्रा के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।यह अंपायर के विवेकाधिकार/अधिकार क्षेत्र में होगा कि वह किसी भी अंतरिम आदेश को पारित करे जिसमें उन पक्षों पर प्रतिबंध शामिल है जो संपत्ति को अलग नहीं करना चाहते हैं या देयता पैदा नहीं करना चाहते हैं।पक्षकारों को उनके वकील द्वारा से 8 नवंबर, 1992 को मध्यस्थ/अंपायर के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

(25) इस स्तर पर, पक्षकार इस बात पर सहमत हैं *कि देश* में कहीं भी लंबित सभी कार्यवाही (दीवानी और आपराधिक) पर रोक रहेगी।

(27) यह मामला 29 जनवरी को सामने आएगा।1993 मध्यस्थ/अंपायर के फैसले का इंतजार करना।"

(281 कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और अब उच्चतम न्यायालय में वकालत करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता श्री डी. एस. *तेवतिया* ने 27 जनवरी, 1993 को इस न्यायालय के पंजीयक (न्यायिक) को संबोधित अपने पत्र के माध्यम से कार्यवाही के कार्यवृत्त के

साथ इस न्यायालय के 28 अक्टूबर, 1992 के आदेश में परिकल्पित पुरस्कार भेजा।इस अधिनिर्णय की प्राप्ति पर ही निर्णय की शुरुआत में निर्दिष्ट आवेदन, जिन पर विचार किया जा रहा है और जिनका इस आदेश द्वारा निपटारा किया जाएगा, इस मुकदमे के पक्षकारों द्वारा दायर किए गए थे।हालाँकि, प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन में की गई आपत्तियों पर ध्यान देने से पहले, यह देखना उपयोगी होगा कि मध्यस्थ मामले में कैसे आगे बढ़ा।पहली बैठक मध्यस्थ द्वारा 8 नवंबर, 1992 को आयोजित की गई थी, याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्री एल. एम. सूरी और प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री पी. एस. छिना के साथ श्री जे. एस. नारंग उपस्थित हुए।पक्षकारसभक लेल उपस्थित विद्वान अधिवक्ता मध्यस्थक समक्ष समझौता करबाक लेल सहमत भऽ गेलाह।

21 नवंबर, 1992 को उनके समक्ष अपने-अपने दावे दायर करने के लिए।स्थगित तिथि यानी 21 नवंबर, 1992 को याचिकाकर्ताओं के वकील श्री एल. एम. सूरी, याचिकाकर्ता गुरचरण सिंह की ओर से उपस्थित थे, श्री जे. एस. नारंग अपने मुवक्किल श्री रघबीर सिंह के साथ पेश हुए।उक्त तिथि पर निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः–

> "श्री सूरी ने सुनवाई की तारीख पर दिए गए निर्देश के अनुसार दावा याचिका को रिकॉर्ड में रखा है।श्री पी. एस. छिना, श्री सूरी को इसकी एक प्रति अग्रिम रूप से देने के बाद 5 दिसंबर, 1992 को अपने पक्ष की अपेक्षित दावा याचिका दायर करने का वचन देते हैं।श्री सूरी श्री छिना से दावे की प्रति, याचिका प्राप्त करते समय श्री छिना को दावे की याचिका की प्रति सौंपेंगे।दावा याचिका के साथ दायर दो आवेदनों की प्रतियां-एक संपत्ति के विविध हस्तांतरण पर रोक लगाने वाले निषेधाज्ञा के लिए।पी/एल और दूसरा अभिलेख विविध के निरीक्षण के लिए।हालाँकि आज श्री छिना को पी/2 दिया गया है।दोनों पक्ष 19 दिसंबर, 1992 को उपरोक्त आवेदन सहित संबंधित दावा याचिका का जवाब दाखिल करने का वचन देते हैं।दोनों पक्ष उक्त तिथि यानी 19 दिसंबर, 1992 को ए-27/15 डी. एल.

एफ. कुतुब एन्क्लेव फेज-1, गुड़गांव में सुबह 11.30 पूर्वाहन पर मेरे सामने पेश होने के लिए सहमत हैं। श्री सूरी ने रु. 50, 000 और श्री छिना ने रुपये के लिए एक मसौदे का भुगतान/निर्माण किया है। 25, 000 और शेष रुपये का भुगतान करने का बीड़ा उठाया है। 19 दिसंबर, 1992 तक 25,000।"

(29) 1ए. ई. पर 1ए. डी. 5 तारीख को 19 दिसंबर, 2,1992 को पी. एन. ओ. जांच की जा सकी क्योंकि पार्टियों के वकील ने संबंधित दावा याचिका का जवाब दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए और समय देने के लिए एक संयुक्त अनुरोध किया था और यह भी अनुरोध किया था कि सुनवाई की तारीख 29 दिसंबर, 1992 को चंडीगढ़ में तय की जाए।तदनुसार जवाब दाखिल करने का समय 29 दिसंबर, 1992 तक बढ़ा दिया गया था और अगली तारीख चंडीगढ़ में 2.9th दिसंबर, 1992 निर्धारित की गई थी।29 दिसंबर, 1992 को श्री एल. एम. सूरी Mr.-Deepak सूरी के साथ याचिकाकर्ता गुरचरण सिंह के साथ मध्यस्थ के समक्ष पेश हुए, जबकि श्री जे. एस. नारंग श्री पी. एस. छिना के साथ प्रतिवादी रघबीर सिंह के लिए पेश हुए।दोनों पक्षों ने संबंधित दावा याचिकाओं का जवाब प्रस्तुत किया।श्री छिना ने श्री दीपक सूरी द्वारा पहले प्रस्तुत किए गए आवेदनों के जवाब भी प्रस्तुत किए।दोनों वकीलों

ने अनुरोध किया कि इस मामले पर 30 दिसंबर, 1992 को दोपहर 3 बजे विचाराधीन आवेदनों पर विचार किया जाए।इस प्रकार, मामले को 30 दिसंबर, 1992 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।सुनवाई की तारीख पर, पक्ष अपने वकील के साथ अदालत के समक्ष पेश हुए।

मध्यस्थ लेकिन मामले को 16 जनवरी, 1993 तक के लिए स्थगित कर दिया गया ताकि वे संबंधित उत्तरों पर प्रत्युत्तर दाखिल कर सकें और श्री गुरचरण सिंह की ओर से दायर निरीक्षण के लिए आवेदन पर विचार कर सकें।प्रतिबंध आदेश के संबंध में, मध्यस्थ द्वारा यह देखा गया कि इस आशय का आदेश 1991 की सीए सं संख्या 19 में 1987 की सी. पी. संख्या 134 में 3 मई, 1991 को पहले ही पारित किया जा चुका था और यह आदेश दिया गया था कि उक्त आदेश को दोहराया जाए।हालाँकि, इस मामले को 17 जनवरी, 1993 को तब तूल दिया गया जब दोनों पक्ष अपने-अपने वकीलों के साथ मौजूद थे।वकील ने प्रत्येक पक्ष की संबंधित दावा याचिका पर एक-दूसरे के संबंधित जवाबों के लिए प्रत्युत्तर प्रस्तुत किए।सुनवाई 24 जनवरी, 1993 तक के लिए स्थगित कर दी गई थी, जिस तारीख को मध्यस्थ द्वारा यह आदेश दिया गया था कि केवल गुरचरण सिंह और रघबीर सिंह यानी संबंधित पक्ष सुलह का प्रयास करने के लिए उनके वकील के बिना उपस्थित होंगे।सुनवाई की तारीख

को, गुरचरण सिंह और रघबीर सिंह ने मध्यस्थ के सामने दस्तावेज रखे।वे हैं।निम्नलिखित प्रभाव के लिए संयुक्त बयान दियाः–

> "मध्यस्थ/अंपायर से अनुरोध है कि वे किसी भी पक्ष द्वारा उनके समक्ष पहले से प्रस्तुत सामग्री के आधार पर अपना पुरस्कार दें क्योंकि हम कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।"

(30)उपरोक्त बयान दर्ज करने के बाद, मध्यस्थ ने आदेश पारित किया कि पुरस्कार की घोषणा नियत समय पर की जाएगी।27 जनवरी को।1993, कार्यवाही से पता चलता है कि पुरस्कार पर हस्ताक्षर किए गए थे और उसी के साथ उसकी दो हस्ताक्षरित प्रतियां और कार्यवाही के कार्यवृत्त कूरियर द्वारा उच्च न्यायालय को भेजे गए थे ताकि इसे 29 जनवरी, 1993 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके, वह तारीख जो पुरस्कार की प्रतीक्षा के लिए निर्धारित की गई थी।

(31)में।कंपनी अधिनियम, 1956 की खंड 155 और संख्या 134 के तहत 1987 की संख्या 79 वाली दो याचिकाओं पर ध्यान देने के बाद मध्यस्थ।कंपनी अधिनियम, 1956 की खंड 439 के साथ पठित 1987 की खंड 433 के तहत और कंपनी (न्यायालय) नियमों के नियम 9 के तहत भी आवेदन और ऊपर निर्दिष्ट खंड 151 सी. पी. सी. के साथ

पठित आदेश 23 नियम 3 के तहत आवेदन और मध्यस्थ की नियुक्ति करने वाले इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के साथ-साथ उन कार्यवाहियों को भी जो उसके समक्ष हुई हैं और उसमें शामिल हुई हैं।प्रत्येक पक्ष द्वारा अपने संबंधित दावों के समर्थन में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर विचार करें जो निम्नानुसार तय किए गए हैंः–

I. 1987 की कंपनी याचिका संख्या 134 खारिज कर दी गई है।

II. विदेशी साइकिल कंपनी याचिकाकर्ता श्री गुरचरण सिंह की एकमात्र स्वामित्व वाली संस्था बनी रहेगी और उक्त कंपनी में किसी का भी कोई अधिकार/हिस्सा नहीं होगा।

प्रतिवादी रघबीर सिंह और उनके बेटे श्री गुरचरण सिंह या उनके खिलाफ किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष लंबित किसी भी प्रकार की कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से वापस ले लेंगे।परिवार के सदस्य अर्थात पत्नी, पुत्र और बेटियाँ, ओवरसीज़ साइकिल कंपनी की संपत्ति या मामलों के संबंध में या उक्त कंपनी या उसकी संपत्ति या परिसर में किसी भी हिस्से के किसी भी दावे के संबंध में जो उसके स्वामित्व में है या पट्टे पर उसके या उसकी ओर से श्री गुरचरण सिंह द्वारा आयोजित किया गया है।

III. श्रीमती की कथित वसीयत। याचिकाकर्ता की मां चानन देवी और प्रतिवादी ने कथित तौर पर 10 जनवरी, 1984 को श्री रघबीर सिंह के बेटे परन जीत-सिंह के पक्ष में फांसी दे दी, जो प्रतिवादी और प्रतिवादी द्वारा गवाह था, जिसे उक्त 1 प्रतिवादी श्री रघबीर सिंह और उनके एक पड़ोसी द्वारा गवाह के रूप में प्रमाणित *किया गया* था और जिसे श्रीमती की मृत्यु के बाद 7 अक्टूबर, 1985 को पूर्व-कार्योत्तर पंजीकृत किया गया था। 2 नवंबर, 1984 को चानन देवी को कानूनी रूप से अमान्य माना जाता है और उसमें नामित लाभार्थी को

इसके तहत कोई लाभ नहीं मिलेगा।

IV. प्रतिवादी श्री रघबीर सिंह द्वारा मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ के अनुसार, जिसमें वर्ष 1984 से आज तक संबंधित परिवार (याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के नेतृत्व में) की हिस्सेदारी की स्थिति को दर्शाया गया है, दोनों भाइयों के पास मेसर्स रघबीर साइकिल प्राइवेट लिमिटेड में 50-50 शेयर थे।इसके बाद समानता बदल गई और दोनों परिवारों की संबंधित हिस्सेदारी के अनुपात में उतार-चढ़ाव आया।वर्ष 1983 में यह अनुपात रघबीर सिंह और उनके परिवार का 60 प्रतिशत और गुरचरण सिंह और उनके परिवार का 40 प्रतिशत था।वर्ष 1985 में, रघबीर सिंह और उनके परिवार के पास 16,250 शेयर, 58 जे प्रतिशत और गुरचरण सिंह और उनके परिवार के पास 11,650 शेयर यानी 411 प्रतिशत थे।इस बिंदु तक पक्षकार इस बात से सहमत नहीं हैं कि उपरोक्त *शेयरधारिता की स्थिति* विवाद में है।इस संबंध में मैं यह निर्णय लेता हूं कि -

(i) मेसर्स रघबीर साइकिल प्राइवेट लिमिटेड में श्रीमती चानन देवी के 1,500 शेयरों में से 750 "शेयर श्री गुरचरण सिंह

* के होंगे और उनकी मृत्यु के क्षण से ही उनके माने जाएंगे।

(ii) वह 37.336 शेयर कथित तौर पर श्री रघबीर सिंह के तीन बेटों द्वारा *अधिग्रहित* किए गए थे। कंवल जीत सिंह, 1,12,256, परणजीत सिंह, 13,100 और हरजीत सिंह, 11,980 और

20,115 प्रतिवादी श्री रघबीर सिंह, 10,060 और पुत्र मंजीत सिंह द्वारा अधिग्रहित शेयर 10,055, जैसा कि 1987 के सी. पी. संख्या 79 के पैरा 9 में संदर्भित है और मेरे समक्ष प्रस्तुत श्री गुरचरण सिंह की दावा याचिका के पैरा 9,13 और 14 में विस्तृत हैं, अकेले उनके स्वामित्व में नहीं हैं।57, 451 शेयरों में से श्री रघबीर सिंह और उनके बेटों के पास केवल 34,471 शेयर यानी 60 प्रतिशत ही रहेंगे और शेष 22,980 शेयर उसी प्रासंगिक तिथि से श्री गुरचरण सिंह और उनके परिवार के स्वामित्व में माने जाएंगे और इन शेयरों को चुकता शेयर माना जाएगा।परिणामस्वरूप स्थिति यह होगी कि ऊपर

उल्लिखित 37,336 शेयरों के संबंध में -

(a) कंवलजीत सिंह की हिस्सेदारी घटकर 7,354 शेयर रह जाएगी।

(b) परणजीत सिंह की हिस्सेदारी घटकर 7,860 शेयर रह जाएगी।

(c) हरजित सिंह की हिस्सेदारी घटकर 7,188 शेयर रह जाएगी।

और ऊपर निर्दिष्ट 20,115 शेयरों के संबंध में -

(a) श्री रघबीर सिंह की शेयरधारिता की स्थिति घटकर 6,036 शेयर रह जाएगी।

(b) और मंजीत सिंह के शेयर घटकर 6,033 रह जाएंगे।

(iii) कंपनी याचिका संख्या 1987 के पैरा 7 में निर्दिष्ट 9,100 शेयरों के संबंध में और याचिकाकर्ता श्री गुरचरण सिंह द्वारा मेरे समक्ष दायर दावा याचिका के पैरा 15 में विस्तृत, यह निर्णय लिया गया है और निर्देश दिया गया है कि उक्त 9,100 शेयरों में से श्री गुरचरण सिंह और उनका परिवार 3,640 शेयरों के मालिक होने के हकदार होंगे, यानी 40 प्रतिशत और उसी

तारीख से मालिक होने के लिए अभिनिर्धारित हैं, उक्त शेयर श्री रघबीर सिंह और/या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को आवंटित किए गए थे और इन शेयरों को पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयरों के रूप में माना जाएगा।इन शेयरों के संबंध में शेयर धारण स्थिति की परिणामी स्थिति यह होगी कि -

(a) रघबीर सिंह की हिस्सेदारी घटकर 900 शेयर रह जाएगी।

(b) मंजीत सिंह की हिस्सेदारी घटकर 900 शेयर रह जाएगी।

(c) कंवलजीत सिंह की शेयर हिस्सेदारी घटकर 1.020 रह जाएगी।

(d) परणजीत सिंह की हिस्सेदारी घटकर 1,620 शेयर रह जाएगी।

(e) हरजीत सिंह की शेयर हिस्सेदारी घटकर 1.020 शेयरों तक रह जाएगी।

(iv) श्री गुरचरण सिंह और उनका परिवार मेसर्स रघबीर साइकिल प्राइवेट लिमिटेड में कम से कम 40 प्रतिशत की सीमा तक शेयरधारिता बनाए रखने का हकदार होगा यदि वह खरीदने के लिए तैयार हैं, जिसका अर्थ है कि यदि उक्त कंपनी में श्री रघबीर सिंह और उनके परिवार की शेयरधारिता की स्थिति में कमी के बाद भी, जैसा कि पहले विस्तार से बताया गया है, उनके और उनके परिवार के पास 60 प्रतिशत से अधिक शेयर बचे हैं, तो याचिकाकर्ता श्री गुरचरण सिंह को 60 प्रतिशत से अधिक के शेयरों की पेशकश की जाएगी, यदि वह खरीदने के लिए तैयार हैं।वैकल्पिक रूप से शेयर पूंजी सीमा को इस हद तक बढ़ाया जा सकता है कि इससे

श्री गुरचरण सिंह को प्रति शेयर 40 प्रतिशत लाभ होगा।उक्त कंपनी में प्रतिशत हिस्सेदारी।विकल्प श्री गुरचरण सिंह या उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार होगा।

सदस्यों के रजिस्टर को तदनुसार ठीक किया जाएगा और तदनुसार शेयर आवंटित/हस्तांतरित किए जाएंगे।

(v) मेसर्स रघबीर साइकिल प्राइवेट लिमिटेड के केवल दो निदेशक होंगे। श्री गुरचरण सिंह और श्री रघबीर सिंह या उनके संबंधित मनोनीत व्यक्तियों ने यह शर्त रखी कि दोनों परिवारों के बीच समानता बनी रहे।

(vi) मेसर्स रघबीर साइकिल प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन वाले दो सिनेमाघरों में से अरोड़ा पैलेस सिनेमा को श्री गुरचरण सिंह की प्रत्यक्ष देखरेख में उक्त कंपनी के निदेशक के रूप में चलाया और संचालित किया जाएगा।

(vii) कि 319 मॉडल टाउन लुधियाना का सदन याचिकाकर्ता श्री गुरचरण सिंह की आत्यन्तिक और अनन्य संपत्ति है और होगी।

(viii) 3 बैंटक स्ट्रीट, कलकत्ता में एस. सी. ओ. ओवरसीज

साइकिल कंपनी का किराए का परिसर है और मेसर्स रघबीर साइकिल प्राइवेट लिमिटेड को उक्त परिसर में और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है।

(ix) फ्लैट नंबर 1 (प्रथम मूर) 10 लॉर्ड सिहा रोड, कलकत्ता, एक व्यक्ति के रूप में श्री गुरचरण सिंह की आत्यन्तिक और अनन्य संपत्ति है।

(x) उस मेसर्स रघबीर साइकिल प्राइवेट लिमिटेड का प्रताप नगर, लुधियाना में भूमि और भवन से कोई लेना-देना नहीं होगा, जिसका स्वामित्व एक समय पर श्रीमती के पास था। चानन देवी।उक्त संपत्ति परणजीत सिंह के स्वामित्व में है और माना जाएगा।

(xi) 2, 3, 4 और 5 संत फतेह सिंह नगर, लुधियाना में कोठी श्री रघबीर सिंह और उनके बेटों की आत्यन्तिक और विशेष स्वामित्व वाली संपत्ति है और होगी।

(xii) याचिकाकर्ता श्री गुरचरण सिंह और उनके परिवार या मेसर्स रघबीर साइकिल प्राइवेट लिमिटेड को निम्नलिखित में किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगाः–

(a) गाँव बुधवाल, लुधियाना में फार्म या

(b) सीकरी स्टील्स (पी) लिमिटेड निची मंगली फोकल प्वाइंट, लुधियाना में संपत्ति इकाई में निर्मित।

(c) सीकरी एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड

(d) रघबीर साइकिल इंटरनेशनल।

(xiii) मेसर्स रघबीर साइकिल प्राइवेट लिमिटेड के कारखाने परिसर और किसी भी तरह की मशीनरी, उपकरण और इसकी संपत्ति का उपयोग श्री रघबीर सिंह और उनके परिवार या श्री गुरचरण सिंह और उनके परिवार द्वारा किसी भी तरह से कंपनियों और फर्मों को चलाने और बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जाएगा।

(xiv) कि श्री गुरचरण सिंह 7वीं मंजिल (चौरंगी चटर्जी इंटरनेशनल) 33-ए, जवाहरलाल नेहरू रोड, कलकत्ता पर फ्लैट संख्या 9 के प्राप्त किराए का हिसाब देंगे क्योंकि विचाराधीन फ्लैट मेसर्स रघबीर साइकिल (प्राइवेट) की संपत्ति है। लि.

(xv) कि एक ओर प्रतिवादी, श्री रघबीर सिंह और उनके परिवार के सदस्य और याचिकाकर्ता

दूसरी ओर श्री गुरचरण सिंह और उनके परिवार के सदस्य किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण में एक-दूसरे के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से या मैसर्स रघबीर साइकिल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा से अभियोक्ता या याचिकाकर्ता के रूप में धन या संपत्ति के पिछले दावे के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं करेंगे।और किसी भी पक्ष के खिलाफ किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण में सभी लंबित मुकदमे/कार्यवाही संबंधित पक्ष द्वारा तत्काल प्रभाव से वापस ले ली जाएगी।

तारीखः27 जनवरी, 1993।

(एसडी)।.., (डी.

एस. तेवतिया)

मध्यस्थ/अंपायर '

(32) अब पुरस्कार के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों की जांच करने का समय आ गया है।पक्षों के बीच यह स्वीकार किया जाता है कि यदि आपत्तियां स्वीकार की जाती हैं, तो दो कंपनी याचिकाएं पुनर्जीवित होंगी और गुण-दोष के आधार पर उनका निपटारा करना

होगा, जबकि यदि आपत्तियां खारिज कर दी जाती हैं, तो याचिकाकर्ता द्वारा पुरस्कार को न्यायालय का नियम बनाने के लिए दायर आवेदनों को स्वीकार करना होगा, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय का पुरस्कार नियम बन जाएगा और इस तरह कंपनी याचिकाएं निष्फल हो जाएंगी।

(33) 1987 के कंपनी आवेदन संख्या 45 से निकाली गई आपत्तियों से पता चलता है कि यह या तो कार्यवाही के संचालन की प्रक्रिया है जिसे कानून के खिलाफ बताया गया है या यह निर्णय में निहित निर्णय की व्यवहार्यता नहीं है जिसे मुख्य रूप से आपत्तियों को स्वीकार करने के लिए प्रचार किया गया है।सुनवाई के दौरान, एक पल के लिए भी निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाया गया, जिसके साथ मध्यस्थ ने मामले को आगे बढ़ाया।हालाँकि, याचिका में निहित पहली आपत्ति यह है कि मध्यस्थ ने मध्यस्थता की कार्यवाही में गलत तरीके से काम किया है क्योंकि उसने एक मध्यस्थ के रूप में नहीं बल्कि एक सुलहकर्ता के रूप में एक-दूसरे के पीछे अलग-अलग पक्षों की जाँच की है।यह प्रक्रिया मध्यस्थता कार्यवाही में आवश्यक नहीं है।अधिकांश समय अलग-अलग बैठकों में बिताया जाता था और संयुक्त बैठक केवल 10 से 15 मिनट के लिए आयोजित की जाती थी।यह पता चलने पर कि दोनों भाइयों के

बीच व्यापक मतभेद थे और सुलह संभव नहीं था, विद्वान मध्यस्थ को उन्हें अपने वकील की मदद से विवादों को हल करने में सहायता करने का अवसर देना चाहिए था, जो अभिलेख में दस्तावेजों का उल्लेख कर सकते थे और अपने-अपने मुवक्किलों के मामले पर प्रभावी ढंग से बहस कर सकते थे।यह आगे एक और आपत्ति के माध्यम से अनुरोध किया जाता है कि दोनों भाइयों के अलावा।

रघबीर सिंह के बेटे भी कंपनी अधिनियम, 1956 की खंड 155 के तहत याचिका में पक्षकार थे, लेकिन उन्हें किसी भी समय सुनवाई के लिए नहीं बुलाया गया था, हालांकि मध्यस्थ की नियुक्ति के आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि पक्षों या उनके वकील को सुना जाएगा, न कि पक्षकारों के वकील को।उपरोक्त तरीके से, यह दलील दी जाती है कि रघबीर सिंह के बेटों को उनकी या उनकी सलाह सुने बिना उनकी हिस्सेदारी के एक बड़े हिस्से से वंचित कर दिया गया है।यह भी दलील दी जाती है कि मध्यस्थ ने 1986 में नवीनतम स्थिति को नजरअंदाज करते हुए वर्ष 1983 और 1985 में पक्षों की हिस्सेदारी का प्रतिशत उठाकर खुद को गलत तरीके से संचालित किया था और गुरचरण सिंह को उन्हें और उनके परिवार को अधिक शेयर देने के पक्ष में होने के अलावा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता था ताकि वे वर्ष 1986 में उनके पास 31 प्रतिशत के बजाय कंपनी में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी बनाए रख सकें।यह भी अनुरोध किया जाता है कि 1987 की कंपनी याचिका संख्या 79 में 9,100 शेयरों के आवंटन को चुनौती नहीं दी गई थी, लेकिन मध्यस्थ ने अपने ए. वी./ए. आर. डी. के खंड IV (3) में इसे रद्द कर दिया है, जिसके तहत रघबीर सिंह और उनके बेटों की हिस्सेदारी को उनके पूर्वाग्रह तक कम कर दिया गया है।यह भी अनुरोध किया जाता है कि पुरस्कार संदर्भ के

आदेश से परे है क्योंकि 1987 की कंपनी याचिका संख्या 79 और 1987 की कंपनी याचिका संख्या 134 में कंपनी मेसर्स रघबीर साइकिल प्राइवेट लिमिटेड के भविष्य के प्रबंधन के लिए व्यवस्था करने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया था, जबकि मध्यस्थ ने अपने पुरस्कार के खंड (V) में निर्देश दिया था कि मेसर्स रघबीर साइकिल प्राइवेट लिमिटेड के केवल दो निदेशक होंगे, अर्थात् श्री गुरचरण सिंह और श्री रघबीर सिंह या उनके संबंधित नामित और दोनों परिवारों के बीच समानता बनाए रखी गई थी।खंड VI में मध्यस्थ ने अरोड़ा पैलेस सिनेमा का प्रबंधन उक्त कंपनी के निदेशक के रूप में गुरचरण सिंह को सौंप दिया है।ए. वी./ए. आर. डी. में उक्त दो प्रावधान भारतीय कंपनी अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों के विपरीत हैं, क्योंकि अधिकांश शेयर रखने वाले समूह को अल्पांश शेयर रखने वाले शेयरधारकों के समूह के बराबर रखा गया है।यह भी अनुरोध किया जाता है कि कंपनी में एक बंद ताला बनाने के लिए एक आधार बनाया गया है।मध्यस्थ को यह पता था कि दो भाई रघबीर सिंह और गुरचरण सिंह, जिन्हें निदेशक बनाया गया था, वे बात नहीं कर रहे थे।इसलिए, नहीं बैठेंगे।कंपनी के मामलों के बारे में निर्णय लेने के लिए एक साथ।यह भी अनुरोध किया जाता है कि कंपनी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अनुसार कंपनी के व्यवसाय को

प्रबंधन के लिए निदेशकों के बीच विभाजित किया जा सके।कंपनी की केवल एक वार्षिक बैलेंस शीट तैयार करनी होती है और कंपनी के सभी खातों को पुस्तकों के एक सेट में दर्ज किया जाता है।पूरा प्रबंधन निदेशक मंडल में निहित है और गुरचरण सिंह के लिए अरोड़ा पैलेस सिनेमा की कंपनी को लेखा देना अनिवार्य बनाने का कोई प्रावधान नहीं है, जिसका प्रबंधन उन्हें सौंपा गया है।यदि वह कंपनी को सिनेमा का लेखा नहीं देता है, तो

बैलेंस शीट तैयार की जा सकती है क्योंकि कंपनी के खाते इसमें होंगे।पूर्ण।यह प्रतिवादी का मामला है कि दोनों सिनेमा हाउस कंपनी के स्वामित्व में हैं और एक ही परिसर में स्थित हैं।सिनेमा के लिए केवल एक ही रास्ता है halls.There दोनों सिनेमा घरों के लिए केवल एक ही बुकिंग विंडो है और प्रत्येक सिनेमा घर का अलग-अलग प्रबंधन संभव नहीं है।यह सिनेमा शो के संचालन में कठिनाइयाँ पैदा करेगा।कंपनी के कर्मचारियों और गुरचरण सिंह के कर्मचारियों के बीच हमेशा टकराव रहेगा।इस प्रकार यह अनुरोध किया जाता है कि पुरस्कार में दिए गए निर्देश कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ होने के कारण अव्यावहारिक और अमान्य थे।

(34) प्रतिवादी की अगली आपत्ति यह है कि मध्यस्थ ने रिकॉर्ड पर दस्तावेजों के खिलाफ एकमात्र स्वामित्व चिंता के रूप में गुरचरण सिंह को ओवरसीज साइकिल कंपनी प्रदान की है जिसमें अदालतों के निर्णय शामिल हैं और यह भी कि मध्यस्थ ने रिकॉर्ड पर पूरे साक्ष्य को पढ़ा और उस पर अपना दिमाग नहीं लगाया है।पक्षकारों ने उद्वारा पहले द्वारा ही अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों के आधार पर मामले का फैसला करने का अधिकार देते हुए सही सोचा कि वह पार्टियों के वकील की मदद द्वारा उन दस्तावेजों को देखेगा।ऐसा नहीं किए जाने के कारण, पुरस्कार

में गलतियाँ दिखाई दी हैं और अधिकांश निर्णय रिकॉर्ड पर दस्तावेजों द्वारा नहीं लिए जाते हैं।इस फैसले पर आगे इस आधार पर आपत्ति जताई गई है कि मध्यस्थ ने फैसले के खंड VII में निर्देश दिया था कि 319 मॉडल टाउन, लुधियाना में घर गुरचरण सिंह की आत्यन्तिक और अनन्य संपत्ति होगी।यह घर कंपनी का है और इसके कोष द्वारा से खरीदा गया था।इस घर के संबंध में बिक्री विलेख भी कंपनी के एन. एस. एम. ई. में है और मामले के रिकॉर्ड में भी है।संदर्भ के आदेश में, यह कहा गया था कि वह पक्षकारों के लिए यह दिखाने के लिए मध्यस्थ/अंपायर के समक्ष आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए खुलेगा कि अन्य संपत्तियां भले ही व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व वाली थीं, कंपनी के धन द्वारा से अधिग्रहित की गई थीं और यदि यह अंपायर की संतुष्टि के लिए दिखाया जाता है, तो उक्त संपत्तियों के संबंध में भी विवाद में जाने के लिए उसके लिए खुला रहेगा।यह दलील दी जाती है कि संदर्भ के आदेश में यह नहीं कहा गया था कि कंपनी की संपत्ति किसी व्यक्ति को दी जाएगी।यह दलील दी जाती है कि गुरचरण सिंह अपने परिवार के सदस्यों के साथ कंपनी के शेयरों के मालिक हैं और मध्यस्थ ने कहा है कि वह 40 प्रतिशत शेयरों को जारी रखेंगे।इसके अतिरिक्त, कोमनव की संपत्ति गुरचरण सिंह को दे दी गई है जो 1987 की कंपनी याचिका संख्या 79

और 134 और इस न्यायालय द्वारा दिए गए संदर्भ आदेश के दायरे से परे है।पुरस्कार को इस आधार पर भी खारिज करने के लिए कहा गया है कि विवादित संपत्तियों में से एक 12 गणेश चंदर एवेन्यू, कलकत्ता में एक गोदाम था, जिस पर कंपनी द्वारा दावा किया गया था

इसकी संपत्ति किराए पर है लेकिन इसे गुरचरण सिंह ने हड़प लिया है।गुरचरण सिंह ने स्वीकार किया है कि किरायेदारी के अधिकार कंपनी रघबीर साइकिल प्राइवेट लिमिटेड के थे और अगर कंपनी कलकत्ता में अपना व्यवसाय शुरू करती है तो वह उक्त परिसर को वापस करने के लिए तैयार थे।विद्वान मध्यस्थ ने कंपनी के इस मद के संबंध में कोई पुरस्कार नहीं दिया है।इसी तरह 3 बेंटिक स्ट्रीट, कलकत्ता में एक एससीओ के संबंध में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि रघबीर साइकिल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दावा किया गया था और इस दावे के समर्थन में विभिन्न दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखे गए थे।

(35) मध्यस्थ द्वारा तय की गई वसीयत के संबंध में भी आपत्ति जताई गई है।

(36) अंतिम आपत्ति यह है कि खंड VII, VIII और IX में मध्यस्थ ने अचल संपत्ति में गुरचरण सिंह और ओवरसीज साइकिल कंपनी के पक्ष में अधिकार बनाए हैं।इन खंडों वाले पुरस्कार के लिए पंजीकरण अधिनियम की खंड 17 (1) (ई) के तहत अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता होती है। पुरस्कार पंजीकृत नहीं होने पर न्यायालय का नियम नहीं बनाया जा सकता है और न ही उसके आधार पर कोई डिक्री

पारित की जा सकती है।

(37) प्रारंभिक आपत्तियों के माध्यम से याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर जवाब में, यह अनुरोध किया जाता है कि आपत्ति याचिका कानून में सक्षम नहीं है क्योंकि पक्षों के बीच यह सहमति हुई थी कि मध्यस्थ/अंपायर का निर्णय अंतिम और पक्षों पर बाध्यकारी होगा और किसी भी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जाएगा।गुण-दोष के आधार पर, उपरोक्त आपत्तियों को भी गलत बताया गया है। यह दलील दी जाती है कि अंपायर ने दोनों पक्षों के साथ उनकी संतुष्टि के लिए बैठकें की थीं और दोनों ने लिखित रूप में दिया था कि वे कोई अन्य अतिरिक्त साक्ष्य नहीं देना चाहते थे या कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे।16 जनवरी, 1993 को दोनों पक्षों और दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि पक्षकारों के बीच सुलह के लिए उक्त तिथि दी गई थी और उनके वकील की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी।दाखिल किए गए उत्तर से यह भी पता चलता है कि मध्यस्थ ने सुलहकर्ता की तरह एक-दूसरे के पीछे अलग-अलग पक्षों की जांच करने में गलत आचरण नहीं किया था।मध्यस्थ का दायरा और अधिकार क्षेत्र एक अंपायर और एक मध्यस्थ होना था।ऐसी कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई थी और यह गलत था कि अंपायर द्वारा दोनों

पक्षों के साथ बहुत कम समय बिताया गया था।वास्तव में।पूरा दिन दोनों पक्षों के साथ बिताया गया जिन्होंने क्रमशः अपना मामला प्रस्तुत किया था।यह भी अनुरोध किया जाता है कि किसी भी पक्ष ने दस्तावेजों और दोनों पक्षों को संदर्भित करने के लिए अपने वकील की मदद नहीं मांगी।

लिखित रूप में दिया कि वे किसी अन्य दस्तावेज का उल्लेख नहीं करना चाहते हैं।यह आगे तर्क दिया जाता है कि वास्तविक विवाद उन दो भाइयों के बीच था जिन्होंने अपना, उनकी पत्नियों और उनके बच्चों का प्रतिनिधित्व किया और उच्च न्यायालय में पांच वर्षों के दौरान किसी भी स्तर पर किसी भी भाई के परिवार के सदस्यों ने कार्यवाही में भाग नहीं लिया।वास्तव में रघबीर सिंह के बेटों को विशेष रूप से याचिका में पक्षकार के रूप में शामिल किया गया था।कंपनी अधिनियम की खंड 155 और उनका प्रतिनिधित्व उनके पिता द्वारा किया गया था।वास्तव में रघबीर सिंह ने अपने बेटों के साथ मामलों में भाग लिया था, लेकिन किसी भी पक्ष द्वारा आगे किसी भी प्रतिनिधित्व के लिए कोई झुकाव नहीं दिखाया।जहाँ तक इन आपत्तियों का संबंध है कि मध्यस्थ ने 1986 की नवीनतम स्थिति को नजरअंदाज करते हुए वर्ष 1983 और 1985 में पक्षों की हिस्सेदारी का प्रतिशत उठाकर खुद के साथ गलत व्यवहार किया है, यह दलील दी जाती है कि याचिकाकर्ताओं के पूरे आरोप थे कि रघबीर सिंह और उनके बेटों ने गुरचरण सिंह और उनके परिवार को नुकसान पहुँचाने के द्वारा 1985 में अचानक अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी थी और अंपायर ने पक्षों के शेयरों को घटाकर 60 करने की कोशिश की थीः40 अनुपात।वास्तव में सही अनुपात 50 होना चाहिए थाः50 क्योंकि कंपनी

में दोनों भाइयों के बराबर शेयर थे।इस बात से इनकार किया गया कि गुरचरण सिंह ने 9,100 शेयरों के आवंटन को चुनौती नहीं दी थी।उनका मुख्य मामला यह था कि रघबीर सिंह और उनके बेटे गुरचरण सिंह के दबाव में अपनी हिस्सेदारी नहीं बढ़ा सके और इसलिए, पूरा दांव रघबीर सिंह के शेयरों का प्रतिशत बढ़ाने के लिए शेयरों के आवंटन का था।इस बात से इनकार किया जाता है कि पुरस्कार संदर्भ के आदेश से परे है।भविष्य के प्रबंधन के लिए व्यवस्था संदर्भ का अभिन्न हिस्सा है क्योंकि गुरचरण सिंह ने एक समापन याचिका दायर की थी और यह कंपनी के भविष्य के प्रबंधन के लिए अंपायर और न्यायालय के अधिकार के दायरे और दायरे में भी है।मध्यस्थ ने सही निर्देश दिया है कि केवल दो निदेशक होंगे।ऑब्जेक्टर की इस दलील का खंडन किया गया है कि सिनेमाघरों को एक साथ चलाना संभव नहीं होगा।यह भी अनुरोध किया जाता है कि कंपनी को चलाने में कोई कठिनाई नहीं होगी।अंपायर द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कंपनी का संचालन निदेशकों द्वारा किया जाएगा, जो अपने नामित लोगों के दोनों भाई होंगे।इसलिए पुरस्कार का कोई भी हिस्सा अमान्य नहीं है।यह भी अनुरोध *किया* जाता *है* कि दो वार्षिक पत्रकों को तैयार करने का कोई सवाल ही नहीं है।वास्तव में यह सर्वविदित है कि बड़ी कंपनियों में विभिन्न निदेशक कंपनी के काम की देखभाल

करते हैं।सिनेमा हॉल की व्यवहार्यता के संबंध में, इस बात से इनकार किया जाता है कि सिनेमा हॉल तक जाने का केवल एक ही रास्ता है या बुकिंग खिड़कियों का केवल एक सेट है और दोनों सिनेमाघरों के अलग-अलग प्रबंधन का कोई प्रावधान नहीं है।यह दलील दी जाती है कि हालांकि केवल एक ही भूखंड है जिस पर दो सिनेमाघर बनाए गए हैं, लेकिन दो अलग-अलग स्वतंत्र संस्थाओं का प्रबंधन किया जाता है

कंपनी द्वारा अलग से।अलग-अलग खाते बनाए रखे जाते हैं, विभिन्न कानूनों के तहत अलग-अलग विवरणी दाखिल की जाती है और इसलिए, कंपनी के कर्मचारियों और गुरचरण सिंह के बीच कोई टकराव नहीं हो सकता है, क्योंकि गुरचरण सिंह का कोई कर्मचारी नहीं होगा।यह भी अनुरोध किया जाता है कि यह गुरचरण सिंह हैं जो कंपनी के लिए और उसकी ओर से सिनेमा के मामलों का प्रबंधन करेंगे और सभी कर्मचारी कंपनी के कर्मचारी होंगे।अंपायर के निर्णय का समर्थन इस दलील से करने का भी प्रयास किया जाता है कि अंपायर ने सभी पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्यों के साथ-साथ सभी पक्षकारों के पक्षकारों पर भी विचार किया था और उसके बाद ही कंपनी की विभिन्न संपत्तियों के बारे में सही निष्कर्ष निकाला था जो विभिन्न संपत्तियों के रूप में अच्छी थीं जिनका निर्माण रघबीर सिंह के पुत्रों द्वारा किया गया था और पुरस्कार देते समय इन संपत्तियों पर सही विचार किया था।इस बात से इनकार किया जाता है कि कंपनी की संपत्ति गुरचरण सिंह को दी गई है।यह भी अनुरोध किया जाता है कि 12 गणेश चंदर एवेन्यू, कलकत्ता के रूप में परिसर रघबीर साइकिल प्राइवेट लिमिटेड के किरायेदारी के तहत नहीं हैं और इसलिए, अंपायर ने उक्त परिसर की उचित रूप से अनदेखी की थी।3 बेंटिक स्ट्रीट, कलकत्ता में स्थित दुकान भी रघबीर

साइकिल प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित नहीं थी और इसलिए, अंपायर ने इस संपत्ति की उचित रूप से अनदेखी की।वसीयत के बारे में निर्णय लेना अदालत के अधिकार क्षेत्र के दायरे में था क्योंकि पक्षों के बीच सभी विवादों को अंपायर को भेजा गया था।यह भी अनुरोध किया जाता है कि खंड VII में संपत्तियों में अधिकार। आठवाँ और नौवाँ गुरचरण सिंह के हैं और इन्हें किसी भी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।यह भी दलील दी जाती है कि रघबीर सिंह ने पंजीकरण अधिनियम की खंड 17 (1) (ई) की आवश्यकताओं का गलत तरीके से उल्लेख किया है। चूंकि पुरस्कार इस न्यायालय में दायर किया जा रहा था, इसलिए यह आदेश का हिस्सा नहीं होगा और इसके लिए किसी भी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

(38) मैंने ऑब्जेक्टर की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जी. आर. रामास्वामी और याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हीरालाल सिब्बल को सुना है, जो चाहते हैं कि पुरस्कार को न्यायालय का नियम बनाया जाए और पूरे अभिलेखों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाए।

(39) हालाँकि, इससे पहले कि विरोध करने वालों की ओर से पेश

विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए विशिष्ट बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए, इस स्तर पर पुरस्कार को चुनौती देने में बुनियादी सीमाओं की जांच करना उपयोगी होगा।यह तय कानून है कि न्यायालय अपील में नहीं बैठता है या साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं करता है और भले ही मध्यस्थ द्वारा कदाचार किया गया हो, लेकिन यह प्रक्रिया में दुर्बलता से संबंधित है, यह पुरस्कार को निर्धारित *करने का कोई* आधार *नहीं है।जगदीश चंदर* भाटिया बनाम लक्ष्मण बास भाटिया (1) में सर्वोच्च न्यायालय।खाद्य *निगम में अपने एक और फैसले पर भरोसा करते हुए* -

(1) एलटी?1993 (एलएफएस।सी. 232.

भारत बनाम *जोगिंदरपाल मोहिंदरपाल और एक* अन्य (2) ने अभिनिर्धारित किया कि, "एक मध्यस्थ के निर्णय में केवल अधिनियम द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया के चार कोनों के भीतर हस्तक्षेप किया जा सकता है या अलग रखा जा सकता है या संशोधित किया जा सकता है।न्यायालय को यह पता लगाना चाहिए कि क्या मध्यस्थ ने स्वयं गलत आचरण किया है या प्रक्रिया में कोई कमजोरी थी, जैसे कि मध्यस्थ ने संदर्भ की शर्तों से परे यात्रा की है या पुरस्कार के सामने कोई स्पष्ट त्रुटि है।किसी विवादित मुद्दे पर गलत निष्कर्ष पर पहुंचना मध्यस्थ की ओर

से कदाचार नहीं है।पुरस्कार के सामने स्पष्ट त्रुटि के मामले में, पुरस्कार को केवल तभी अलग किया जा सकता है जब कानून का कोई प्रस्ताव हो जिस पर पुरस्कार आधारित हो जो कानून के साथ टकराव में हो।न्यायालय के समक्ष यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि मध्यस्थ द्वारा दिए गए कारण कानून में इतने स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण हैं कि उनके परिणामस्वरूप मध्यस्थ ने ऐसा दृष्टिकोण अपनाया है जिसे कानून में कायम नहीं रखा जा सकता है।इसे अलग तरह से रखने के लिए, अदालत अपील में नहीं बैठती है और साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं करती है।यहां तक कि अगर अदालत को लगता है कि अगर यह उस पर छोड़ दिया जाता, तो वह साक्ष्य का अलग-अलग मूल्यांकन करता जो 'पुरस्कार' को अलग करने के लिए एक वैध आधार नहीं होता।- पुरस्कार को इस आधार पर अलग रखा जा सकता है कि इसमें स्पष्ट त्रुटि है।हालाँकि, ऊपर देखे गए आधार पर गैर-बोलने वाले निर्णय में हस्तक्षेप करने में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का दायरा बेहद सीमित है।चैंप्से *भरा एंड कंपनी बनाम* जीवराज *बलू स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड (3)* में न्यायिक समिति ने इस संबंध में सीमा का नियम स्पष्ट किया।उच्चतम न्यायालय ने द हिंदुस्तान *कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनामजे 8ज़* के *(4) राज्य ने चैंप्से भरा के* मामले (ऊपर) में न्यायिक समिति के प्रत्यावेदन पर भरोसा करते

हुए *कहा कि, "भले* ही मध्यस्थों ने अनुबंध के प्रासंगिक खंडों की व्याख्या की हो।विवादित वस्तुओं पर अपना निर्णय देना और भले ही व्याख्या गलत हो, न्यायालय निर्णय को नहीं छू सकता क्योंकि अनुबंध की व्याख्या करना मध्यस्थों के अधिकार क्षेत्र में है।चाहे व्याख्या सही हो या गलत, पक्षकार बाध्य होंगे; केवल तभी जब वे निर्णय में अपनी व्याख्या की रेखा निर्धारित करते हैं और जो गलत पाई जाती है, न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।त्रुटि के अस्तित्व के अलावा, एक अन्य कोण जिससे अदालत द्वारा गैर-भाषी निर्णय पर विचार किया जा सकता है, वह यह है कि जब अधिकार क्षेत्र से अधिक त्रुटि होती है या त्रुटि अधिकार क्षेत्र के भीतर होती है, तो निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती है।केवल सुनवाई से पूर्ण इनकार के मामले में, पुरस्कार को दरकिनार किया जा सकता है लेकिन साक्ष्य के तकनीकी नियम मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं।ए खण्ड पीठ

(2) जे. टी. 1989 (2) एस. सी. 89

(3) एल. आर. 1922 50 आई. ए. 324

(4) जे. टी. 1992 (5) एस. सी. 325

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय *केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बनाममोहिंदर* सिंह *एंड कंपनी एंड अदर (5) ने* अभिनिर्धारित किया कि,

"यह सच है कि यदि सुनवाई से पूरी तरह से इनकार किया जाता है तो एक पुरस्कार रद्द किया जा सकता है, लेकिन साक्ष्य के तकनीकी नियम मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं।'' मध्यस्थता कार्यवाही के किसी पक्ष को आपत्ति लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है यदि मध्यस्थ के समक्ष ऐसी कोई आपत्ति नहीं ली गई थी।आचरण द्वारा स्वीकृति स्वयं एक विशेष पक्ष को उस आपत्ति को उठाने से रोकती है जिसका मध्यस्थ के समक्ष प्रचार नहीं *किया गया था।एन.* चेल्लापन बनाम केरल एस. *ई. बोर्ड* (6), *के. एन. को-ऑपरेटिव* सोसाइटी *बनाम भारत संघ (7),* और *एन. ई. एस.* एंड *टी. कॉर्पोरेशन बनाम पंजाब राज्य* (8) *पर भरोसा करते* हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय रसायन के मामले (उपरोक्त) में ऐसा निर्णय दिया था।दूसरा सर्वविदित सिद्धांत यह है कि न्यायालय मध्यस्थ के निर्णय की समीक्षा नहीं कर सकता है और निर्णय में किसी भी गलती को तब तक ठीक नहीं कर सकता है जब तक कि निर्णय की वैधता पर आपत्ति न हो।तथ्य और कानून दोनों पर निर्णय *अंतिम होता है और* मध्यस्थ *के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं* की जाती है।चैंपसी भरा एंड कंपनी बनाम जीवराज बलू स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड (9) में, प्रिवी काउंसिल ने कहा कि "पुरस्कार के सामने कानूनी रूप से एक त्रुटि का अर्थ है, उनके लॉर्डशिप के विचार में, कि

आप पुरस्कार जीआर में एक दस्तावेज पा सकते हैं जो वास्तव में उसमें शामिल है, उदाहरण के लिए मध्यस्थ द्वारा अपने निर्णय के कारणों को बताते हुए एक ध्यान दें, कुछ कानूनी प्रस्ताव जो पुरस्कार का आधार है और जिसे आप तब गलत कह सकते हैं।" इसके अलावा, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि पुरस्कार को एकमात्र आधार पर निर्धारित किया जाना है, तो शिकायत की गई एकमात्र आधार ऐसी प्रकृति का होना चाहिए जो किसी भी सुनवाई के बराबर न हो।इसके अलावा, पक्षकार उन आपत्तियों पर *निर्णय से* बाहर *नहीं निकल* सकते हैं जो मामले के पर्याप्त न्यायाधीश को प्रभावित नहीं करती हैं।यह बात अमीर बेगम बनाम बदरूद्दीन हुसैन (10) में कही गई थी।इसके अलावा, यह भी तय किया जाता है कि जहां पुरस्कार कानूनी और नैतिक दोनों आधारों *पर* आधारित *संदिग्ध दावे* का निष्पक्ष और ईमानदार निपटान है, वहां इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।यह सितन्ना बनाम मरिवाडा विराना (11) में आयोजित किया गया था।

(40) विरोध करने वालों के विद्वान अधिवक्ता श्री रामास्वामी का पहला तर्क यह है कि मध्यस्थ की नियुक्ति का आदेश मेरे द्वारा पारित किया गया है, भले ही पक्षकारों द्वारा स्वयं दायर आवेदनों में अनुरोध किया गया हो।

(5) 1985 बॉम्बे 381।

(6) ए. टी. आर. 1975 एस. सी. 230.

(7) ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 1338.

(8) ए. आई. आर. 1963 पंजाब 56.(9)एल. आर. 1992-50 टी. ए. 324

(10) ए. आई. आर. 1914 पी. सी. 105.

(11) ए. आई. आर. 1934 पी. सी. 105.

वे उस ओर से, मध्यस्थता अधिनियम के किसी भी प्रावधान से उत्पन्न नहीं हुए हैं। पुरस्कार भी मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में नहीं दिया गया है और इसलिए इसे न्यायालय का नियम नहीं बनाया जा सकता है।वैकल्पिक रूप से, यह तर्क दिया जाता है कि यदि इसे न्यायालय का नियम बनाया जा सकता है, तो मध्यस्थ की नियुक्ति के आदेश में पक्षकारों पर प्रतिबंध अर्थात कि पक्षकार किसी भी न्यायालय में मध्यस्थ के पुरस्कार पर सवाल नहीं उठाएंगे, इसका कोई परिणाम नहीं होगा और पक्षकारों के लिए मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के तहत इसे चुनौती देने के ज्ञात तरीकों के तहत पुरस्कार को चुनौती देने का अधिकार होगा। जबकि, श्री सिब्बल, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता, जो न्यायालय का आदेश देने की मांग कर रहे हैं, तर्क के

बाद के हिस्से को स्वीकार करते हैं जैसा कि ऊपर देखा गया है और स्वीकार करते हैं कि भले ही एक मध्यस्थ नियुक्त करने के आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि पुरस्कार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, फिर भी इस मुकदमे के पक्षों के लिए आपत्तियों को उठाने के लिए खुला है, पहले विवाद और शैलियों को गंभीरता से चुनौती देते हैं जो न केवल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अस्वीकार्य है, बल्कि एक ऐसी याचिका भी है जो एक याचिका पर सीमा बनाती है जिसे अच्छी तरह से बेईमान कहा जा सकता है।हालाँकि, मेरे विचार में जो तथ्य और परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं, वे आपत्तियों को स्वीकार करने के लिए पूछने वाले विरोधियों को रोकते हैं और इस दलील पर पुरस्कार को अस्वीकार करते हैं कि मध्यस्थ की नियुक्ति का आदेश और मध्यस्थ द्वारा दिया गया परिणामी पुरस्कार मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के तहत नहीं था। ऊपर उल्लिखित कंपनी याचिकाएं वर्ष 1987 में दायर की गई थीं और वे बहस के लिए परिपक्व हो गई थीं और दलीलें लगभग पूरी तरह से सुनी गईं कि मुकदमे के पक्षों ने दो आवेदन दायर किए, एक कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 9 के तहत पक्षों के बीच विवादों का फैसला करने के लिए एक अंपायर की नियुक्ति के लिए और दूसरा आदेश 23 नियम 3 के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता की खंड 151 और

कंपनी (न्यायालय) नियमों के नियम 9 के साथ पढ़ा गया।1959, पक्षों के बीच विवादों का समाधान करने के लिए एक अंपायर की नियुक्ति के लिए।सी. पी. सी. की खंड 151 और कंपनी (न्यायालय) नियमों के नियम 9 के साथ पठित आदेश 23 नियम 3 के तहत आपत्ति करने वालों द्वारा आवेदन दायर किया गया था।ऊपर उल्लिखित दो आवेदनों के कारण एक मध्यस्थ नियुक्त किया गया था।

(41) मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के तहत मध्यस्थता का संदर्भ धारा 8,29 और 'से समझ में आता है।21. खंड 8 उस स्थिति से संबंधित है जहां मध्यस्थता समझौता है जिसमें यह प्रावधान है कि पक्षकारों की सहमति से नियुक्त किए जाने वाले एक या अधिक मध्यस्थों को निर्देश दिया जाएगा।खंड 20 उन व्यक्तियों से संबंधित है जिन्होंने समझौते की विषय वस्तु या उसके किसी भाग के संबंध में किसी मुकदमा की स्थापना के समक्ष मध्यस्थता समझौता किया है और जहां कोई अंतर पैदा हुआ है जिससे समझौता हुआ है।

लागू होता है।अध्याय 2 के तहत कार्यवाही करने के बजाय, दोनों में से कोई भी पक्ष उस मामले में अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में आवेदन कर सकता है जिससे समझौता संबंधित है, कि समझौता न्यायालय में दायर किया जाए।खंड 21 जो वर्तमान मामले के तथ्यों की ओर आकर्षित होती है, इस प्रकार पढ़ती हैः–

> "जहाँ किसी भी वाद में सभी इच्छुक मुकदमा इस बात पर सहमत होते हैं कि वाद में उनके बीच मतभेद का कोई भी मामला मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, वे निर्णय घोषित होने से पहले किसी भी समय न्यायालय में संदर्भ के आदेश के लिए लिखित रूप में आवेदन कर सकते हैं।"

निर्णय के पूर्व भाग में दिए गए तथ्यों के विवरण से यह स्पष्ट है कि सभी इच्छुक पक्ष इस बात पर सहमत थे कि उनके बीच अंतर का मामला जो दो कंपनी याचिकाओं से संबंधित है, जिसका विवरण ऊपर दिया गया है, उसे मध्यस्थता के लिए भेजा जाए।आवेदन निर्णय की घोषणा से पहले दायर किए गए थे और वे लिखित रूप में थे।इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि ऊपर निर्दिष्ट कंपनी याचिकाओं के लिए सभी इच्छुक पक्षों के आवेदनों पर मेरे द्वारा पारित आदेश मध्यस्थता

अधिनियम के प्रावधानों के तहत नहीं था या यह कि पुरस्कार भी मध्यस्थता अधिनियम में निहित प्रावधानों के बाहर था।

(42) उस पक्ष ने, जिसने किसी भी प्रकार की आपत्ति उठाए बिना मध्यस्थ के समक्ष लिखित और भाग लेने के लिए मध्यस्थता की नियुक्ति के लिए 5 अनुरोध किए हैं, विरोधियों को यह तर्क देने की अनुमति नहीं देगा कि मध्यस्थ की नियुक्ति करने वाले इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश और स्वयं पुरस्कार मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के तहत नहीं थे। विरोध करने वालों *का आचरण स्वीकृति के बराबर* है।राष्ट्रीय केमिकल्स *एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बनाम मैसर्स मोहिंदर* सिंह एंड कंपनी *और एक* अन्य *(12) मामले में* बॉम्बे हाईकोर्ट *की खण्ड पीठ* ने *एन. चेलप्पन बनाम* केरल एस. *ई.* बोर्ड *(13), के.* एन. *को-ऑपरेटिव सोसाइटी बनाम* भारत संघ (14) और एन. ई. एस. एंड टी कॉर्पोरेशन बनाम पंजाब राज्य (15) पर भरोसा करते हुए कहा कि मध्यस्थ के समक्ष सुनवाई के दौरान कोई पक्ष आपत्ति पर वापस नहीं बैठ सकता है।•और बाद में खुद को एक प्रतिकूल पुरस्कार का सामना करने के बाद इसे उठाएँःइस तरह का आचरण स्वीकृति के बराबर होगा।" इस प्रकार, विरोध करने वालों के लिए विद्वान अधिवक्ता का पहला तर्क खारिज कर दिया जाता है।

(43) वैकल्पिक विवाद; जैसा कि ऊपर देखा गया है Mr.nRamaswami द्वारा समाप्त किया गया है, न केवल रियायत के अनुसार स्वीकार किया जाना चाहिए।

(12) ए. आई. आर. 1985 बॉम्बे 381.

(13) ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 230.

(14) ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 1338.

*15) ए. आई. आर. 1963 पी. बी. 56.

इसके विपरीत अधिवक्ता का, लेकिन इस कारण से भी कि केवल इस आदेश में उल्लेख किया गया है कि पुरस्कार को चुनौती नहीं दी जा सकती है, किसी पक्ष को आपत्तियां उठाने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, यदि कानून अनुमति देता है।मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों में स्पष्ट रूप से इसके तहत निर्दिष्ट आधारों पर आपत्तियां दायर करने की परिकल्पना की गई है और यह कि कानून होने के नाते विरोध करने वालों को आपत्तियां उठाने और पुरस्कार को रद्द करने या अस्वीकार करने के लिए कहने का अधिकार है।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मध्यस्थ की निष्पक्षता पर दूर से भी सवाल नहीं उठाया गया है और विभिन्न आपत्तियों में केवल इतना ही उल्लेख किया गया है कि मध्यस्थ ने कार्यवाही को

इस तरह से संचालित किया है जो स्पष्ट रूप से कानूनी कदाचार को दर्शाता है।1

(44) मामले के गुण-दोष पर और कानूनी कदाचार की पुष्टि करते हुए, यह तर्क दिया जाता है कि मध्यस्थ ने प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों का उल्लंघन किया क्योंकि भले ही मामला 6 फरवरी, 1993 के लिए बहस के लिए तय किया गया था, जब इसे 24 जनवरी, 1993 को उक्त उद्देश्य के लिए स्थगित कर दिया गया था, मध्यस्थ ने 24 जनवरी, 1993 को केवल एस. गुरचरण सिंह और एस. रघबीर सिंह को बुलाया और कंपनी या अन्य पक्षों को कोई नोटिस दिए बिना, 27 जनवरी, 1993 को पुरस्कार की घोषणा की, यानी बहस के लिए निर्धारित तिथि से पहले।विवाद आकर्षक प्रतीत होता है लेकिन जब मध्यस्थ द्वारा संचालित कार्यवाही के आलोक में इसकी जांच की जाती है तो यह पूरी तरह से महत्वहीन हो जाता है।मध्यस्थ द्वारा कार्यवाही करने का तरीका और तरीका ऊपर विस्तार से दिया गया है।19 दिसंबर, 1992 को कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी क्योंकि पक्षों के विद्वान अधिवक्ता ने संबंधित दावा याचिकाओं का जवाब दाखिल करने के लिए टेलीग्राफ से और समय मांगा और यह भी अनुरोध किया कि सुनवाई की तारीख 29 दिसंबर, 1992 को चंडीगढ़ में तय की जाए।' स्थगित तिथि यानी 29 दिसंबर, 1992 को पक्षों ने संबंधित दावा याचिकाओं का जवाब प्रस्तुत

किया।दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अनुरोध किया कि इस मामले को 31 दिसंबर, 1992 को उठाया जाए।इसके बाद मामले को 16 जनवरी, 1993 तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जब पक्षों को अपने-अपने जवाबों के लिए प्रत्युत्तर दाखिल करना था।इसके बाद मामला 17 जनवरी, 1993 को लिया गया जब निम्नलिखित आदेश पारित किया गयाः–

"दोनों पक्ष अपने-अपने वकीलों के साथ मौजूद हैं।

वकील ने प्रत्येक पक्ष की दावा याचिकाओं के लिए एक-दूसरे के संबंधित जवाबों को रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किया।सुनवाई 24 जनवरी, 1993 तक पूर्वाहन के लिए स्थगित कर दी गई है, जिस तारीख को केवल एस. गुरचरण सिंह और एस. रघबीर सिंह, जो संबंधित पक्ष हैं, सुलह के प्रयास करने के लिए उनके वकील के बिना उपस्थित होंगे।

24 जनवरी, 1993 को सुबह 11.30 AM पर कॉली करने के लिए।

(45) स्थगित तिथि पर अर्थात 24 जनवरी, 1993 को पक्षों का संयुक्त वक्तव्य अर्थात एस. गुरचरण सिंह औरएस. रघबीर सिंह को अभिलिखित किया गया था उनके द्वारा कहा गया था कि

मध्यस्थ/अंपायर से अनुरोध किया जाता है कि वे किसी भी पक्ष द्वारा उनके समक्ष पहले से प्रस्तुत सामग्री के आधार पर पुरस्कार दें क्योंकि वे कोई सबूत, दस्तावेजी या मौखिक प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे।पुरस्कार के साथ मध्यस्थ द्वारा विधिवत भेजे गए कार्यवाही पत्रक से यह नहीं पता चलता है कि मामला 16 जनवरी, 1993 को लिया गया था।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह केवल 17 जनवरी, 1993 को लिया गया था।उक्त तिथि पर ही मामले को 24 जनवरी, 1993 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, न कि 6 फरवरी, 1993 के लिए।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संबंधित पक्षों अर्थात एस. गुरचरण सिंह और एस. रघबीर सिंह का संयुक्त बयान 24 जनवरी, 1993 को दर्ज किया गया था और पुरस्कार 27 जनवरी, 1993 को दिया गया था।इस प्रकार विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि पुरस्कार निर्धारित तिथि से पहले घोषित किया गया था और पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को दलीलें देने का कोई मौका दिए बिना, मामले के रिकॉर्ड के खिलाफ होने के किसी भी गुण से रहित है।

(46)दूसरा तर्क विरोध करने वालों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया कि चूंकि पक्षों यानी एस. गुरचरण सिंह और एस. रघबीर सिंह को अलग-अलग सुना गया था और एक-दूसरे की उपस्थिति में

नहीं, इसलिए पुरस्कार को दूषित किया गया था, इसका कोई गुण नहीं है।हालाँकि, उनके उपरोक्त तर्क के *लिए, विद्वान* अधिवक्ता *पय्यावुला वेंगम्मा* बनाम पय्यावुला *मेसन्ना (17)* और *बख्तावर लाल बनाम राम* कुमार और अन्य (18) पर निर्भर करते हैं।

(47)यह 17 जनवरी, 1993 को है कि मध्यस्थ ने संबंधित दावा याचिकाओं पर एक-दूसरे के संबंधित जवाब प्राप्त करने के बाद मामले को 24 जनवरी, 1993 तक के लिए स्थगित कर दिया, जिस तारीख को केवल एस. गुरचरण सिंह और एस. रघुबीर सिंह यानी संबंधित पक्षों को सुलह के प्रयास करने के लिए अपने वकील के बिना उपस्थित होना था।जैसा कि ऊपर बताया गया है, 24 जनवरी को। 1993 में।एस. गुरचरण सिंह और एस. रघुबीर सिंह जैसे पक्षों का संयुक्त बयान दर्ज किया गया।यह बात प्रतीत होती है कि मध्यस्थ ने 24 जनवरी को आयोजित की गई कार्यवाही से एक-दूसरे के पक्षकारों को सुनने की मांग की है। 1993 में।24 जनवरी, 1993 को दर्ज की गई कार्यवाही और आदेश से ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है।हालाँकि, आपत्ति याचिका के पैराग्राफ 3 (ए) में यह अनुरोध किया गया है कि मध्यस्थ ने मध्यस्थता कार्यवाही का गलत संचालन किया क्योंकि उसने एक मध्यस्थ के रूप में नहीं बल्कि एक सुलहकर्ता की तरह

एक-दूसरे के पीछे अलग-अलग पक्षों की जांच की, और यह प्रक्रिया मध्यस्थता कार्यवाही में आवश्यक नहीं थी।अधिकांश समय अलग-अलग बैठकों में बिताया जाता था और संयुक्त बैठक केवल 10 या 15 के लिए आयोजित की जाती थी।

(17) ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 21.

(18) ए. टी. आर. 1986 सभी। 160.

मिनट्स, एफ. टी. वी. ने आगे दलील दी कि यह पाए जाने के बाद कि दोनों भाइयों के बीच व्यापक मतभेद थे और सुलह संभव नहीं था, मध्यस्थ को उन्हें अपने वकील की मदद से विवादों को हल करने में सहायता करने का अवसर देना चाहिए था, जो दस्तावेजों को रिकॉर्ड में संदर्भित कर सकते थे और अपने संबंधित मुवक्किलों के मामले पर प्रभावी ढंग से बहस कर सकते थे।जवाब में जो याचिकाकर्ता की ओर से दायर किया गया है।यह दलील दी गई है कि पूरा दिन दोनों पक्षों के साथ बिताया गया था जिन्होंने क्रमशः मामले प्रस्तुत किए थे और किसी भी पक्ष ने दस्तावेजों को संदर्भित करने के लिए अपने वकील की मदद नहीं मांगी थी।विरोध करने वालों के इस दावे कि मध्यस्थ ने एक-दूसरे के पीछे पक्षकारों को सुना था, को यह कहकर अस्वीकार कर दिया गया है कि यह गलत था कि मध्यस्थ/अंपायर ने सुलहकर्ता की तरह कार्यवाही का गलत संचालन किया था।कार्यवाहियों से, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, और पक्षों की दलीलों से भी, शायद इतना ही पता चल सकता है कि 24 जनवरी, 1993 को जब मध्यस्थ ने सुलह का प्रयास किया था, तो उसने पक्षों को अलग-अलग और साथ ही संयुक्त रूप से सुना होगा।इसी पृष्ठभूमि से विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क की सराहना की जानी चाहिए कि एस. गुरचरण सिंह और एस. *रघुबीर सिंह को* एक-दूसरे की उपस्थिति में नहीं बल्कि अलग-अलग सुना

गया था।पय्यावुला वेंगम्मा के मामले (उपरोक्त) के तथ्यों से पता चलता है कि एक 'पी' की मृत्यु अपनी विधवा, अपने अविभाजित भाई, अपने दूसरे पूर्व मृत भाई के बेटे और अपनी पूर्व मृत पत्नी द्वारा अपने बेटे को छोड़कर हुई थी।मृतक ने एक वसीयत बनाने का इरादा किया था जिसके तहत उसने विधवा के भरण-पोषण और निवास के लिए कुछ प्रावधान किए थे।विधवा ने रखरखाव, रखरखाव और निवास अवशिष्ट के लिए मुकदमा दायर किया।जब अभियोक्ता से पीडब्लू 1 के रूप में पूछताछ की जा रही थी, तो मुकदमे में सभी मुकदमों ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 21 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें मुकदमे में विवादों के निपटारे और उसके निर्णय का पालन करना के लिए के को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने पर सहमति व्यक्त की गई।पक्षकारों द्वारा दायर याचिका में मध्यस्थ को कोई विशेष शक्ति नहीं दी गई थी।वाद, लिखित कथन और अन्य अभिलेखों को उनके निर्णय के लिए उनके पास भेजने पर सहमति व्यक्त की गई और मध्यस्थ को आदेश के साथ दिए गए वाद और लिखित कथन को पढ़ने के बाद अपना निर्णय देने का निर्देश दिया गया।मध्यस्थ ने अभियोक्ता की अनुपस्थिति में में प्रतिअभियोक्ता की जांच की और अभियोक्ता को मामले में अपनी बात रखने का अवसर दिए बिना वसीयत का भी अध्ययन किया।प्रतिवादी से प्राप्त बयान में तथ्य के

कई बयान थे, जिन्हें उसके लिखित बयान में जगह नहीं मिली।उपरोक्त तथ्यों पर, यह अभिनिर्धारित किया गया कि मध्यस्थ द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों के विपरीत थी।मध्यस्थ कानूनी कदाचार का दोषी था और पुरस्कार को दूषित करने के लिए पर्याप्त सामग्री थी।उद्धृत मामले के तथ्यों से पता चलता है कि द्वारा दिया गया बयान

मध्यस्थ के लिए अभियोक्ता ने अनुरोध के अलावा कुछ भी उल्लेख नहीं किया कि उसे शिकायत और लिखित बयान को जारी रखना चाहिए और कानून और न्यायाधीश के अनुसार अपना पुरस्कार देना चाहिए।हालाँकि, प्रतिवादी से प्राप्त बयान में न केवल अनुरोध दोहराया गया था, बल्कि इसमें तथ्य के कई बयान थे, जिन्हें उसके लिखित बयान में जगह नहीं मिली।इन कथनों को पृष्ठ 22 पर पुनः प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकार हैंः–

"(1) उसके पति ने उसे जो दिया उससे वह खुश थी।

(2) सरकारी खातों से यह देखा जाता है कि उसके पति द्वारा किए गए समझौते के अनुसार, उसे दी गई भूमि उसके कब्जे में रही है।

{3) जिस तरह अभियोक्ता के पास अपने गहने हैं, उसी तरह घर की अन्य महिलाओं के पास भी अपने-अपने गहने हैं; और

(4) घरेलू परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारे बड़े भाई ने तीसरी पत्नी, अभियोक्ता के लिए भरण-पोषण प्रदान किया, जैसे उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी के लिए भरण-पोषण प्रदान किया था।"

(48) उपरोक्त परिस्थितियों में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि

प्रतिवादी 1 द्वारा दिए गए बयान, उसके लिखित बयान में निहित अभिकथनों के अलावा दिए गए साक्ष्य का गठन करते हैं और प्रतिवादी 1 के लिए यह तर्क देना व्यर्थ है कि बयान पूर्व प्राप्त करने में। सं. 5 उनसे मध्यस्थ ने केवल उससे एक विवरण प्राप्त किया जो पहले से ही उसके लिखित बयान में पाया गया था।

(49) जहां तक वर्तमान मामले के तथ्यों का संबंध है, यह मामले के अभिलेखों पर साबित होता है कि 24 जनवरी, 1993 को दोनों पक्षों को संयुक्त रूप से और साथ ही अलग-अलग सुना गया था।सुलह के माध्यम से पक्षों के बीच समझौता करने का प्रयास करने के लिए तारीख तय की गई थी।चीजों की प्रकृति में, इस प्रकार, मध्यस्थ को उन्हें अलग से और साथ ही संयुक्त रूप से सुनना था।~ इस तरह से ही उन्हें पक्षों के बीच मतभेदों से परिचित होना पड़ता था और इस प्रकार, यदि संभव हो तो समझौता करने का प्रयास करना पड़ता था।इस प्रकार, इस मामले के तथ्य पूरी तरह से अलग *हैं और इसलिए,* पय्यावुला वेंगम्मा के मामले (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, जिस पर विद्वान अधिवक्ता द्वारा दृढ़ता से भरोसा किया गया है, विरोध करने वालों के बचाव में नहीं आ सकता है।

(50) बख्तावर लाल के *मामले (उपरोक्त) के* तथ्यों से पता चलता है

कि वास्तव में यह पाया गया कि मध्यस्थ ने प्रत्यर्थियों के पीछे अपीलकर्ता को सुना था और उसने उस सुनवाई के बारे में प्रतिवादी को सूचित नहीं किया था।मध्यस्थता समझौते के प्रासंगिक खंड पर विचार करते समय यह पाया गया कि यह मध्यस्थ को एक दूसरे की अनुपस्थिति में में एक या दूसरे पक्ष को सुनने का अधिकार नहीं देता है।रिपोर्ट किए गए मामले के पैराग्राफ 10 में इसका उल्लेख किया गया है।"यह बाद में था कि अपीलकर्ता ने अपना मामला बदल दिया

निवेदन करते हुए कि मध्यस्थ ने एक-दूसरे की अनुपस्थिति में में दोनों पक्षों को नहीं सुना और यह स्थापित करना चाहता था कि मध्यस्थ ने दोनों को एक साथ और संयुक्त रूप से सुना।न तो नीचे के न्यायालय के समक्ष और न ही हमारे समक्ष रिकॉर्ड से कोई सबूत दिखाया गया था जो यह स्थापित कर सके कि दोनों पक्षों को मध्यस्थ द्वारा संयुक्त रूप से सुना गया था।मध्यस्थ ने पुरस्कार के साथ अन्य कागजात भी दाखिल किए थे जो उनके पास थे।इनमें से कोई भी मध्यस्थता की कार्यवाही का एक मिनट नहीं है।इन पत्रों से यह स्थापित नहीं होता है कि कोई संयुक्त बैठक हुई थी।वास्तव में निर्णय में मध्यस्थ ने स्वयं स्वीकार किया कि उसने पक्षों को अलग-अलग सुना था और एक पक्ष को दूसरे की अनुपस्थिति में में सुना गया था।" इस प्रकार यह देखा जाएगा कि

उपरोक्त मामले के तथ्य पूरी तरह से अलग *हैं और इसलिए,* बख्तावर लाल के मामले (ऊपर) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से विरोध करने वालों को कोई मदद नहीं मिलेगी।

(51) श्री रामास्वामी का अगला तर्क यह है कि मध्यस्थ द्वारा संचालित पूरी कार्यवाही में कंपनी या एस. गुरचरण सिंह और एस. रघुबीर सिंह के अलावा अन्य पक्षों को कोई नोटिस नहीं दिया गया था।विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पक्षकार, जो मध्यस्थता निर्णय से विभिन्न मामलों में प्रभावित हुए हैं, इस प्रकार, प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए मामले में सुनवाई नहीं की गई।इस न्यायालय के समक्ष उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों में भी विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क का कोई महत्व नहीं है और इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए।1987 की कंपनी याचिका संख्या 79 में पक्षकारों की श्रृंखला से यह देखा जाएगा कि गुरचरण सिंह अपनी पत्नी श्रीमती के साथ। जसवंत कौर, बेटियां मिस सोनिया और मिस रमजीत कौर और बेटे गुरप्रीत सिंह ने एस. रघुबीर सिंह, उनके बेटों मंजीत सिंह, कंवलजीत सिंह, परमजीत सिंह और हरजीत सिंह के खिलाफ याचिका दायर की थी।हरदिप कौर को मध्यस्थ के समक्ष पक्षकार के रूप में शामिल किया गया।1987 की कंपनी याचिका संख्या 134 में याचिकाकर्ता समान हैं लेकिन प्रतिवादी

कंपनी और रघुबीर सिंह हैं।यह पक्षकारों * के पूरे मामले में है कि दो भाई यानी रघुबीर सिंह और गुरचरण सिंह दो समूहों के प्रमुख हैं।सिविल प्रक्रिया संहिता की खंड 151 के साथ पठित आदेश 23 नियम 3 और कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 9 के तहत आवेदन में निहित दलीलों का उल्लेख करते हुए, जो उल्लेख करना महत्वपूर्ण है, गुरचरण सिंह और अन्य, याचिकाकर्ताओं और मैसर्स रघुबीर साइकिल (पी) लिमिटेड और अन्य लोगों द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया था, यह देखा जाएगा कि आवेदन के पैराग्राफ 2 में यह अनुरोध किया गया है कि याचिकाकर्ता एस. गुरचरण सिंह और प्रतिवादी एस. रघुबीर सिंह मैसर्स रघबीर साइकिल प्राइवेट लिमिटेड के साथ शेयर होल्डिंग के संबंध में उनके परिवारों के प्रमुख हैं और दोनों भाई यानी एस. गुरचरण सिंह और रघबीर सिंह अपने विवादों को सुलझा समर्थ हैं।

साइकिल कंपनी।पैराग्राफ 3 में *आगे* यह उल्लेख किया गया है कि दोनों भाई इस बात पर सहमत हैं कि इस न्यायालय द्वारा एक अंपायर नामित किया जा सकता है और सुलह पर अंपायर द्वारा दिया गया निर्णय दोनों भाइयों पर उनके परिवार *के सदस्यों सहित बाध्यकारी होगा।(जोर दिया* गया) अब कंपनी (अदालत) नियमों के नियम 9 के तहत दायर आवेदन पर आते हुए, दलीलों से यह देखा जाएगा कि यह उल्लेख किया गया है

कि याचिकाकर्ता-गुरचरण सिंह और रघुबीर सिंह-प्रतिवादी के भाई और उन दोनों ने शुरू में भागीदारों के रूप में एक कंपनी बनाई थी जिसे बाद में लगभग समान शेयरों के साथ एक सीमित कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया था।पैराग्राफ 3 में यह भी उल्लेख किया गया है कि मेसर्स रघबीर साइकिल (पी) लिमिटेड की कमाई से बनी संपत्तियों के संबंध में दोनों भाइयों और उनके परिवारों के बीच कई अन्य विवाद थे जो लुधियाना की विभिन्न अदालतों, इस अदालत और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित थे।पैराग्राफ 4 में आगे उल्लेख किया गया है कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि मेसर्स रघबीर साइकिल (पी) लिमिटेड और उनकी अन्य चिंताओं और संपत्तियों से संबंधित दोनों भाइयों के परिवारों के बीच पूरे विवादों को एक अंपायर को भेजा जा सकता है ताकि उन पर हमेशा के लिए एक बार निर्णय लिया जा सके।पैराग्राफ 5 में यह उल्लेख किया गया है कि अंपायर द्वारा दिया गया निर्णय भाइयों और उनके परिवारों दोनों के लिए स्वीकार्य होगा और वे सभी मामलों में समान रूप से पाए जाएंगे।जहाँ तक इस आवेदन का संबंध है, वह भी संयुक्त रूप से दायर किया गया था और इसमें प्रतिवादी के वकील, श्री जे. एस. नारंग, अधिवक्ता का नाम शामिल है, हालांकि इस पर उक्त विद्वान अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।इस प्रकार यह देखा जाएगा।कि यह दो भाई हैं

जो अपने परिवारों के साथ विभिन्न शेयरों पर कब्जा कर रहे थे और यह उनके बीच का विवाद है जिसे अंपायर/मध्यस्थ को भेजा जाना था जिसका निर्णय उन पर और उनके परिवार के सदस्यों पर बाध्यकारी होना था।इसके अलावा, इस न्यायालय ने मध्यस्थ की नियुक्ति करते समय पक्षों को एक विशेष तिथि पर मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया।मान लीजिए, विरोध करने वालों का वकील न केवल रघुबीर सिंह बल्कि उनके परिवार के सदस्यों और कंपनी का भी प्रतिनिधित्व कर रहा था।एक बार जब वकील द्वारा मध्यस्थ के समक्ष उपस्थिति दर्ज कराई गई, जो, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सभी प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो ऐसा नहीं था।मध्यस्थ के लिए यह अनिवार्य है कि वह मामले में शामिल सभी व्यक्तियों को अलग-अलग नोटिस जारी करे और यदि कोई वास्तव में अलग से सुनना चाहता है, तो यह उसके लिए था।मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित होना।

(52) श्री रामास्वामी ने पुरस्कार के पैराग्राफ (iv) के खंड (vii) पर गंभीर आपत्ति जताई है जो इस प्रकार हैः–

> "कि 319 मॉडल टाउन, लुधियाना का घर अप्रचलित है और रहेगा।और श्री गुरचरण सिंह याचिकाकर्ता की अनन्य संपत्ति
>
> ",

Gurcharan Singh *v.* M/s Raghbir Cycles Pvt. Ltd. etc.
(V. K. Bali, J.).

विद्वान अधिवक्ता की सटीक आपत्ति यह है कि विचाराधीन सदन एक कंपनी की संपत्ति है और इस प्रकार, मध्यस्थ द्वारा गुरचरण सिंह को नहीं दिया जा सकता था क्योंकि मध्यस्थता की मांग करते समय पक्षकार इस बात पर सहमत नहीं थे कि कंपनी की संपत्ति को विभाजित या वितरित किया जाए और न ही इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को देखते हुए इसकी *अनुमति* थी, जिसके अनुसार मध्यस्थ नियुक्त किया गया था।विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क भी है कि दो कंपनी याचिकाएं, जिनमें से एक रजिस्टर में सुधार के लिए थी और दूसरी कंपनी को बंद करने के लिए थी, उसके दायरे और दायरे में किसी व्यक्ति को घर हस्तांतरित करने का आदेश भी नहीं हो सकता था जो कंपनी से संबंधित है।कंपनी अधिनियम की खंड 443 का उल्लेख करते हुए, विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि न्यायालय की शक्ति-एक समापन याचिका की सुनवाई करना या तो इसे बिना किसी लागत के या बिना किसी लागत के खारिज करना है; या सुनवाई को सशर्त या बिना किसी शर्त के स्थगित करना है; या कोई भी अंतरिम आदेश देना है जो वह उचित समझता है; या लागत या किसी अन्य आदेश के साथ या उसके बिना कंपनी को समाप्त करने का आदेश देना है जो वह उचित समझता है।यह एकमात्र शक्ति है जिसके साथ न्यायालय निहित है, मध्यस्थ वह नहीं कर सकता था जो करने के

लिए न्यायालय को भी कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।यह उसी तनाव में है कि पुरस्कार के पैराग्राफ 6 के खंड (iii) पर आपत्तियां उठाई गई हैं जो श्रीमती द्वारा निष्पादित वसीयत के संबंध में है। चनान देवी परणजीत सिंह के बेटे के पक्ष में।रघुबीर सिंह का, जो खंड इस प्रकार पढ़ता है

> "श्रीमती की कथित वसीयत। याचिकाकर्ता की माँ चानन देवी और प्रतिवादी ने कथित रूप से 10 जनवरी, 1984 को परणजीत सिंह पुत्र श्री रघबीर सिंह प्रतिवादी के पक्ष में फांसी दे दी और प्रतिवादी द्वारा गवाह के रूप में उक्त प्रतिवादी श्री रघबीर सिंह और उनके एक पड़ोसी द्वारा प्रमाणित किया गया और जिसे 7 अक्टूबर *को* पोस्ट फैक्टो पंजीकृत किया गया था।1985 श्रीमती की मृत्यु के बाद। 2 नवंबर को चानन देवी।1984' इसे अवैध आई. पी. कानून माना जाता है और इसमें नामित लाभार्थी इसके तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं करेगा।"

(53) इसके अलावा, निश्चित रूप से, उप-पैरा (vii) के संबंध में वही आपत्ति उठाने के अलावा, जैसा कि ऊपर देखा गया है, यह विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वसीयत को केवल उपयुक्त न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जा सकता है और मध्यस्थ को मामले से निपटने

का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, इस प्रकार, पुरस्कार को पूरी तरह से अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना माना जाता है।इसी तरह की आपत्ति उठाते हुए, ऊपर देखा गया है, यह कहा गया है कि शेयरों में फेरबदल नहीं किया जा सकता है जैसा कि मध्यस्थ द्वारा किया गया है क्योंकि यह किसी भी कंपनी याचिका का दायरा नहीं था जो रजिस्टर के सुधार के लिए थी

या वह जो कंपनी अधिनियम की खंड 155 के तहत कंपनी को बंद करने के लिए दायर किया गया था।एक याचिका में, अनुरोध रजिस्टर के सुधार के लिए था जबकि दूसरे में यह शेयरों को हटाने या याचिकाकर्ता के नाम पर चानन देवी के शेयरों के हस्तांतरण के लिए था।यह आपत्ति मध्यस्थ द्वारा दिए गए पुरस्कार के पैराग्राफ (iv) के खंड (i), (ii), (iii) और (iv) के संबंध में है।निदेशक को बिना किसी प्रक्रिया के हटाने के संबंध में विद्वान अधिवक्ता की भी यही आपत्ति है और यह तर्क दिया जाता है कि यदि इस न्यायालय द्वारा ऊपर निर्दिष्ट कंपनी की याचिकाओं पर विचार करते समय इस पाठ्यक्रम को नहीं अपनाया जा सकता है, तो मध्यस्थ द्वारा ऐसा नहीं किया जा सकता है।

(54) याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिब्बल, हालांकि, ऊपर देखे गए सभी बिंदुओं पर विरोध करने वालों के

विद्वान अधिवक्ता के साथ मुद्दों में शामिल हुए हैं।मैं भी इससे प्रभावित नहीं हूं।ऊपर देखे गए बिंदुओं में से और ये सभी आपत्तियाँ, जैसा कि ऊपर देखी गई हैं, खारिज किए जाने के योग्य हैं।मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए पक्षों द्वारा दायर आवेदन और उनकी सामग्री पहले ही ऊपर देखी जा चुकी है।दोनों आवेदनों से निकले आदेश को भी पुनः प्रस्तुत किया गया है।अभिवचनों और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को एक साथ पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सभी प्रकार के विवादों को मध्यस्थ के पास भेजा गया था और उस हिसाब से पारित आदेश सभी मामलों के संबंध में सबसे व्यापक था, चाहे वह एक पक्ष द्वारा गुप्त तरीके से शेयरों की वृद्धि हो या श्रीमती द्वारा निष्पादित वसीयत। चानन देवी, इस मुकदमे के पक्षकारों के बीच देश के विभिन्न न्यायालयों में दीवानी और आपराधिक दोनों तरह के विवाद लंबित थे और यही सटीक कारण है कि मध्यस्थ की नियुक्ति के आदेश में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि पक्षों के बीच सभी विवादों का निर्णय श्री डी. एस. तेवतिया, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा किया जाएगा, जो एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करेंगे और साथ ही अंपायर भी।आगे यह आदेश दिया गया कि पक्षों के बीच हुए समझौते को देखते हुए देश में कहीं भी लंबित सभी विवादों (दीवानी और आपराधिक) की कार्यवाही पर रोक रहेगी।इसके अलावा, दोनों कंपनी

याचिकाओं में आरोप लगाए गए हैं।जैसा कि फैसले के पहले भाग में देखा गया है, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि श्रीमती के स्वामित्व वाले शेयरों के संबंध में विरोध करने वालों के खिलाफ गंभीर आरोप थे। चानन देवी जो वसीयत के तहत लाभार्थी को हस्तांतरित की गई थी।जाहिर है, विरोध करने वालों की हिस्सेदारी में वृद्धि और धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों के संबंध में विवाद था।आपत्ति करने वालों की हिस्सेदारी बढ़ाने की दृष्टि से कंपनी की परिसंपत्तियों को दलीलों में उठाया गया था।ऐसे आरोप भी सामने आ रहे थे कि कंपनी की संपत्तियों को स्थानांतरित करके विरोध करने वालों ने अपने-अपने नामों पर संपत्तियां खरीदी थीं।कंपनी अधिनियम, 1956 की खंड 155 के तहत दायर कंपनी याचिका-1987 की संख्या 79 में विशिष्ट आरोप

सदस्यों के रजिस्टर में सुधार यह है कि श्रीमती. चानन देवी, जो याचिकाकर्ता नंबर 1 और प्रतिवादी नंबर 2 की मां थीं, के पास 1,500 शेयर थे।2 नवंबर, 1984 को उनकी मृत्यु हो गई।यह भी दलील दी गई कि ये शेयर प्रतिवादी नंबर 2 के बेटे परणजीत सिंह और श्रीमती के दो बेटों को अवैध रूप से आवंटित किए गए थे। याचिकाकर्ता संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2, चनन देवी इन शेयरों के आधे हिस्से के समान रूप से हकदार थे।कंपनी की पुस्तकों में विभिन्न क्रेडिट दिखाने का प्रबंधन करने

वाले प्रतिवादी नंबर 2 के संबंध में और आरोप थे, जैसा कि सेठी फाइनेंस कंपनी, सीकरी फाइनेंस कंपनी और सचदेवा फाइनेंस कंपनी द्वारा किया गया था।यह आरोप लगाया गया था कि ये काल्पनिक जमा थीं।कंपनी द्वारा इन वित्त कंपनियों को कोई ब्याज नहीं दिया गया था।ब्याज का भुगतान उनके नाम के वाहक चेक द्वारा किया जाता था, लेकिन इसे पंजाब एंड सिंध बैंक, मिलर गंज, लुधियाना से रघबीर सिंह प्रतिवादी नंबर 2, उनके बेटों, मंजीत सिंह और कंवलजीत सिंह द्वारा भुनाया गया था।यह भी अनुरोध किया गया कि इन शेयरों के लिए आवंटनकर्ताओं द्वारा कभी भी आवेदन नहीं किया गया था और बाद में इन्हें रघबीर सिंह-प्रतिवादी एन. क्यू. द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया था। 2 कंवलजीत सिंह, परणजीत सिंह और हरजीत सिंह के नाम पर।याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि कंपनी के 40 व्यक्तियों, 11 मौजूदा और 29 गैर-मौजूदा कर्मचारियों को शेयर आवंटित किए गए थे।

(55) हालाँकि, ऊपर उल्लिखित दो कंपनी याचिकाओं में मुकदमे के किसी एक पक्ष के पक्ष में सदन के हस्तांतरण या श्रीमती द्वारा निष्पादित वसीयत घोषित करने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की जा सकती थी। चानन देवी को अमान्य या अन्य चीजें, जैसा कि ऊपर देखा गया है, लेकिन किसी भी सार्थक तर्क से यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त

मामलों पर पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं था।जब मुकदमे के पक्षकार स्वेच्छा से मध्यस्थ को पूरे विवादों (दिए गए जोर) को संदर्भित करने के *लिए सहमत* हुए थे, तो यह कंपनी याचिकाओं का दायरा नहीं है जो प्रासंगिक है, बल्कि यह संदर्भ का दायरा है जो अधिक प्रासंगिक है।यह मेसर्स रघबीर साइकिल प्राइवेट लिमिटेड और ओवरसीज साइकिल लिमिटेड के रूप में जानी जाने वाली कंपनियों के संबंध में विवाद था, जिसका निर्णय मध्यस्थ द्वारा किया जाना था।मध्यस्थ की नियुक्ति के आदेश में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि मध्यस्थ/अंपायर के समक्ष आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पक्षकारों के लिए यह खुला होगा कि यह दिखाने के लिए कि अन्य संपत्तियां भले ही व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व वाली थीं, कंपनी के धन द्वारा से अधिग्रहित की गई थीं और मध्यस्थ के लिए उक्त संपत्तियों के संबंध में विवाद में जाने के लिए खुला था।आदेशों में उल्लेख किया गया है कि दोनों याचिकाओं यानी 1987 की कंपनी याचिका संख्या 79 और 137 का दायरा और दायरा निर्णय के लिए अंपायर/मध्यस्थ के समक्ष होगा, इसका मतलब यह नहीं है कि यह केवल उक्त याचिकाओं में निहित प्रार्थनाएं हैं जिन्हें मध्यस्थ द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है।कि

इन याचिकाओं पर विचार करते समय इस न्यायालय द्वारा किया जाना था और जहां तक मध्यस्थ का संबंध है, उसे पक्षों के बीच विवादों का समाधान करना था, जैसा कि आवेदनों में स्पष्ट रूप से परिकल्पना की गई है जो संदर्भ के क्रम में समाप्त होता है और आदेश भी।

(56) कंपनी याचिकाओं में से एक का दायरा कंपनी को इस तरह से समाप्त करना था।जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उक्त याचिका परिपक्व हो गई थी और वास्तव में लगभग पूरी तरह से दलीलें सुनी गईं।यदि याचिकाकर्ताओं की याचिका सफल होती, तो कंपनी का परिसमापन कर दिया जाता।यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि यह उस स्तर पर है जब तर्कों की सुनवाई की गई थी कि कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 9 के तहत एक अंपायर की नियुक्ति के लिए और दूसरा आदेश 23 नियम 3 के तहत खंड 151 सी. पी. सी. और कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 9 के साथ पढ़ा गया था।मुकदमे के पक्षकार इस तथ्य से अवगत थे कि कंपनी को समाप्त करने का आदेश हो सकता है।यह उस आधार पर है कि पक्षकार ऊपर उल्लिखित आवेदनों में इस न्यायालय में मध्यस्थ द्वारा से सुलह की मांग करते हुए आए थे, जिसे रघबीर साइकिल (पी) लिमिटेड और ओवरसीज साइकिल लिमिटेड के रूप में जानी जाने वाली दो कंपनियों

के संबंध में विवाद का फैसला करना था। यह सुलह कंपनी के काम करने के उद्देश्य से आवश्यक था न कि इसे पूरा करने के लिए।उस आलोक में मध्यस्थ ने मामले का फैसला किया और चीजों को इस तरह से व्यवस्थित किया कि कंपनी का अस्तित्व बना रहे।यह न्यायालय, तर्कों को अस्वीकार करने के अलावा, जैसा कि ऊपर देखा गया है, यह देखने के लिए विवश है कि सभी संभावनाओं में विरोध करने वाले अपने खिलाफ एक प्रतिकूल निर्णय को महसूस करते हुए आवेदनों के साथ आए, शायद, समय प्राप्त करने और फिर सभी प्रकार की तुच्छ आपत्तियों को उठाने के लिए।न्यायालय के पास इस मामले में सभी आपत्तियों को अस्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जैसा कि ऊपर देखा गया है।यहां यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि प्रतिवादी के पास चार सदन हैं और याचिकाकर्ताओं के विशिष्ट आरोप हैं कि उन्हें कंपनी के कोष से खरीदा गया था।

(57) श्री एन. रामास्वामी, अनभिज्ञ वकील ने भी मेरे छोटे-छोटे बिंदुओं को छुआ है, जैसे कि पुरस्कार के कुछ खंडों की कंपनी की गैर-व्यवहार्यता और विशेष रूप से अरोड़ा पैलेस के संबंध में, जो एक सिनेमा हॉल है और जिसका संदर्भ पैराग्राफ (iv) के खंड (vi) में दिया गया है।वही इस प्रकार पढ़ता हैः–

"मैसर्स रघबीर साइकिल प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन वाले दो सिनेमाघरों में से। अरोड़ा पैलेस सिनेमा श्री गुरचरण सिंह की प्रत्यक्ष देखरेख में उक्त कंपनी के निदेशक के रूप में चलाया और संचालित किया जाएगा।"

तर्क यह है कि कंपनी के स्वामित्व वाले दो सिनेमाघरों में एक जनरेटर सेट और एक ए. सी. प्लांट है, जिन्हें अरोड़ा पैलेस और मिनी अरोड़ा पैलेस के नाम से जाना जाता है।केवल एक प्रवेश द्वार, एक बुकिंग खिड़की है और चूंकि अरोड़ा पैलेस सिनेमा को अब श्री गुरचरण सिंह की सीधी देखरेख में चलाया और संचालित किया जाना है, इसलिए इससे दो सिनेमाघरों के काम करने में समस्या होगी।अभिवचनों में ऊपर देखी गई गणनाओं पर सिनेमाघरों की गैर-व्यवहार्यता से इनकार किया गया है।यह न्यायालय यह समझने में समर्थ नहीं है कि केवल दो सिनेमाघरों को चलाने में कोई कठिनाई कैसे होगी क्योंकि अरोड़ा पैलेस के निदेशक के रूप में गुरचरण सिंह को उनकी देखरेख में उक्त कंपनी को संचालित करने का अधिकार दिया गया है।उनके पर्यवेक्षण का संभवतः यह मतलब नहीं हो सकता है कि वह केवल एक सिनेमा के लिए जनरेटर या ए. सी. संयंत्र चलाने का आदेश देंगे न कि दूसरे के लिए या वह एक सिनेमा के लिए प्रवेश पर प्रतिबंध लगा देंगे न कि दूसरे के लिए।

(58) कलकत्ता, एस. सी. ओ. 3, बेंटक स्ट्रीट एंड ओवरसीज साइकिल लिमिटेड में संपत्तियों और उनके वितरण और प्रबंधन का उल्लेख न करना, जो पुरस्कार में हैं, इस न्यायालय को किसी भी तरह से कोई महत्व नहीं देता है और विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि पुरस्कार

मध्यस्थ को प्रेषित किया जाना है, इस कारण से इस न्यायालय के साथ कोई दोषसिद्धि नहीं है।इसके अलावा, पुरस्कार में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि बेंटैक स्ट्रीट, कलकत्ता में एस. सी. ओ. 3, ओवरसीज साइकिल कंपनी की किराए की संपत्ति है और मेसर्स रघबीर साइकिल प्राइवेट लिमिटेड का उक्त परिसर में और उस पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है।पुरस्कार के खंड (ix) में यह भी उल्लेख किया गया है कि फ्लैट संख्या 1 (पहली मंजिल), 10 लॉर्ड सिन्हा रोड, कलकत्ता, श्री गुरचरण सिंह की आत्यन्तिक और अनन्य संपत्ति है।

(59) श्री नारंग, खंडन में विरोध करने वालों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देते हुए एक नए बिंदु को छुआ है कि मध्यस्थ द्वारा दिए गए पुरस्कार का खंड (v) कंपनी में एक गतिरोध पैदा करेगा।श्री नारंग यह भी तर्क देते हैं कि श्रीमती। मैसर्स रघबीर बाइसाइकल्स इंटरनेशनल की एकमात्र स्वामिनी मनदीप कौर हैं और किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं था, लेकिन मध्यस्थ ने अभी भी पुरस्कार के पैराग्राफ (iv>) के खंड (xii) में इसका उल्लेख किया है।उन्होंने उन बिंदुओं को भी दोहराया है जो श्री रामास्वामी द्वारा उठाए गए थे और निर्णय के पहले भाग में ऊपर उल्लेख किए गए थे, जिन पर आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है।हालांकि, जहां तक नए बिंदुओं का

संबंध है, जैसा कि ऊपर देखा गया है, यह समझ में नहीं आता है कि पुरस्कार के पैरा (iv) के खंड (v) को देखते हुए गतिरोध कैसे होगा।विचाराधीन पैरा में केवल इतना ही उल्लेख किया गया है कि मेसर्स रघबीर साइकिल (पी) लिमिटेड के दो निदेशक होंगे, जिनके नाम गुरचरण सिंह और रघबीर सिंह या उनके संबंधित नामित होंगे।

बशर्ते कि दोनों परिवारों के बीच समानता बनी रहे।कोई कंपनी दो निदेशकों या उनके संबंधित नामितों के साथ व्यवसाय क्यों नहीं कर सकती और लेन-देन क्यों नहीं कर सकती, यह पूरी तरह से समझ में नहीं आता है।ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारों के बीच विवादों को देखते हुए मध्यस्थ ने सोचा कि अपने परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो भाई वास्तव में कंपनी बनाने वाले वास्तविक व्यक्ति थे और जहां तक निदेशकों का संबंध है, उनके परिवारों में समानता होनी चाहिए।पक्षों के बीच यह भी विवादित नहीं है कि इन कंपनियों के अग्रदूत दो भाई हैं।जहां तक पुरस्कार के खंड (xii) का संबंध है, जिसमें रघबीर साइकिल इंटरनेशनल का भी उल्लेख है, यह कहना पर्याप्त है कि यह उल्लेख किया गया है कि गुरचरण सिंह और उनके परिवार के सदस्यों या मेसर्स रघबीर साइकिल (पी) लिमिटेड का उक्त कंपनी में किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा।बल्कि यह विरोध करने वालों के मामले का समर्थन करता है और इस प्रकार, किसी

भी तरह से पुरस्कार की वैधता को कम नहीं करता है।ये एकमात्र ऐसे बिंदु हैं जिन पर तर्क दिए गए थे।चूंकि निर्णय के पूर्व भाग में पुनः प्रस्तुत आपत्ति याचिका में उल्लिखित अन्य बिंदुओं पर किसी भी तर्क को संबोधित नहीं किया गया था, इसलिए उक्त आपत्तियों पर कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं है।

(60) आपत्तियों में कोई योग्यता नहीं पाते हुए, मैं उन्हें अस्वीकार करता हूं।परिणामस्वरूप, मध्यस्थ द्वारा दिनांक 27 जनवरी, 1993 को दिए गए पुरस्कार को न्यायालय का नियम बना दिया जाता है।आदेश को पुरस्कार के अनुसार तैयार किया जाए।आपत्तियों को खारिज कर दिया जाता है और लागत रुपये निर्धारित की जाती है। 5, 000।

एस. के.

इससे *पहले माननीय एस. पी. कुर्दुकर, सी. जे. और एच. एस. बेदी, जे.*

डॉ. दलबीर सिंह बख्शी,-अपीलार्थी।

बनाम

डॉ. हिमत सिंह अनेजा और एक और,-उत्तरदाता।

Gurcharan Singh v, M/s Raghbir Cycles Pvt. Ltd. etc.
(V. K. Bali, J.)

1993 का *एल.* पी. ए. 895

9 मई, 1994

P.C.M.S। (वर्ग I) नियम, 1972, *जैसा कि 1979* में संशोधित किया *गया* था-नियम *9 (2) (3) और 9-ए-प्रतिनियुक्तिदाता के रूप में प्रदान की गई सेवा-मूल विभाग में कर्मचारी की वापसी-प्रतिनियुक्ति पर प्रदान की गई सेवा* का लाभ-चाहे *कर्मचारी को विशेष पोस्टिंग का दावा करने का अधिकार हो-दुर्भावनापूर्ण पोस्टिंग-अदालत ऐसे आदेश को रद्द कर सकती है।*

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दीपाली सिंगला

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा

Gurcharan Singh v, M/s Raghbir Cycles Pvt. Ltd. etc.
(V. K. Bali, J.)